ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2018

अंक 01

विषय सूची

मई 2018
अंक–1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–18

- प्लास्टिक प्रदूषणः विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती
- रेशम उद्योग का नया युग
- स्टेम सेलः जैव चिकित्सा विज्ञान का उभरता क्षेत्र
- वायु प्रदूषण नियंत्रण के वर्तमान प्रयास
- रेड कॉरिडोर का पुनर्निर्धारण
- राष्ट्रमंडल सम्मेलन-2018
- भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19–23

सात महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें 24–30

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 31–39

सात महत्वपूर्ण तथ्य 40

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सिविल सेवा परीक्षा 2018 में 146वाँ स्थान प्राप्त
श्री अनिरुद्ध कुमार
से विशेष भेंटवार्ता

प्रश्न **सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता पर प्रतियोगिता दर्पण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई।**

उत्तर बहुत-बहुत धन्यवाद

प्रश्न **किस तरह और कब आपको सिविल सेवाओं की गरिमा एवं महत्व का अनुभव हुआ?**

उत्तर मैं बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला हूँ, जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। बचपन में गाँव में डर का माहौल बना रहता था। शायद तभी मेरे बाल मनोविज्ञान में आईएएस/आईपीएस की महत्वपूर्ण भूमिका का एहसास होने लगा था। मेरे पिताजी जो ग्रुप C के एक साधारण कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे हमेशा समाज के लिए कुछ सकारात्मक पहल करने की प्रेरणी दी। तब से सिविल सेवा में चयनित होना ही मेरा लक्ष्य बन गया।

प्रश्न **वह क्षण कब आया जब आपने सिविल सेवाओं में कैरियर की संभावनायें तलाशने का फैसला लिया?**

उत्तर जब मैं इण्टरमीडिएट में था, तभी मैंने यह इरादा कर लिया था कि अब मुझे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए। इसी क्रम में मैंने पहले बीटेक किया और 2011 से पूरी तरह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गया।

प्रश्न **अपना परिणाम जानने से पहले आप टॉपर्स के बारे में क्या सोचते थे? क्या आप पिछले वर्षों की परीक्षा के टॉपर्स के साक्षात्कारों का कोई असर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन में अनुभव करते हैं? इन टॉपर्स में से किसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया?**

उत्तर प्रतिभाएँ नहीं बल्कि आपकी सफलता असाधारण होती है। इसलिए मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि टॉपर्स भी इसी समाज और परिवेश से आते है और वे सफल हो सकते है तो मैं क्यों नहीं।

प्रश्न **केवल सिविल सेवा एक लक्ष्य था या किसी और कैरियर विकल्प के लिए साथ-साथ में तैयारी कर रहे थे?**

उत्तर सिविल सेवा कोई नौकरी या रोजगार का माध्यम नहीं है, यह मेरे लिए खुद को साबित करने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का माध्यम है इसलिए यह मेरा पहला और अंतिम लक्ष्य था। हालांकि मैंने पहले इंजीनियरिंग की हुई थी, तो जीवन में विकल्प के अभाव की स्थिति नहीं थी।

प्रश्न **अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे?**

उत्तर सफलता व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होती है। मेरी सफलता में मेरे माता-पिता, मेरी पत्नी आरती सिंह (IPS) और मेरे गुरुजन ध्येय IAS के निदेशक श्री विनय सर, क्यू. एच. खान सर और विनीत अनुराग सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही विकास दिव्यकीर्ति सर, धर्मेन्द्र सर (Dharmendra Sociology) और कमलदेव सर का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और व्यक्तिगत स्नेह मुझे मिला।

प्रश्न **इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम क्या रहा? तैयारी हेतु दिशा एवं सही मार्गदर्शन कहाँ से मिला?**

उत्तर इस परीक्षा की तैयारी की दिशा में पहला कदम पाठ्यक्रम और विगत वर्ष के प्रश्नों की प्रकृति को समझना रहा। फिर आधारभूत पुस्तकों और समाचार-पत्र पर आधारित शार्ट नोट्स बनाए और लगातार उनका रीविजन करता रहा।

प्रश्न **क्या आप इस प्रयास में अपनी तैयारी एवं परीक्षा में निष्पादन से संतुष्ट थे और सफलता के प्रति आशावान थे? सफलता के इस समाचार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही?**

उत्तर मैंने और मेरी पत्नी आरती दोनों ने पिछले वर्ष की परीक्षा दी थी, जिसमें आरती IPS के रूप में चयनित हुई पर मैं रिजर्व लिस्ट में था। इस बार अपनी सीमाओं को समझते हुए प्रारम्भिक परीक्षा के तुरंत बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गया था। मैंने पुराने वर्ष के प्रश्नों के ट्रेण्ड को समझा और कई नये प्रयोग भी किए। मैं अपनी सफलता के लिए आश्वस्त था इसलिए सफलता के बाद यही भाव आया कि जहाँ चाह है, वहाँ राह है।

प्रश्न **बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य में निजी क्षेत्र में आज सेवाओं के लुभावने अवसर उपलब्ध होने के बावजूद आप सिविल सेवाओं में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बाद भी गंभीरता से तैयारी में लगे रहे। किस चीज ने आपका जोश बरकरार रखा?**

उत्तर सिविल सेवा एक अवसर है, जहाँ हम समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान दे सकते है। साथ ही यह हमें अर्थपूर्ण पहचान भी देता है इसलिए निजी क्षेत्र में मौद्रिक आकषर्ण भले ही हो लेकिन जीवन में जिस अर्थपूर्ण संतुष्टि की तलाश मुझे थी, वह सिविल सेवा में पूरी हो सकती थी।

प्रश्न **सिविल सेवा परीक्षा 2011 से प्रारम्भिक परीक्षा के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, आप परिणाम जानने से पहले प्रयास की तैयार की क्या रणनीति बनाई थी?**

उत्तर 2011 के बाद प्रारम्भिक परीक्षा में कई नये क्षेत्रों से प्रश्न आने लगे और सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ व्यहारिक प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। मैंने प्रश्नों के बदले ट्रेंड को समझते हुए अपने शार्ट नोट्स बनाये बार-बार उनका रीविजन करता रहा। साथ ही अधिक से अधिक टेस्ट प्रैक्टिस भी की।

प्रश्न **नये कलेवर वाली प्रारम्भिक परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र 2 के लिए क्या विशेष योजना बनाई?**

उत्तर प्रारम्भिक परीक्षा के प्रश्न-पत्र 2 में मैं पहले से ही काफी सहज था, क्योंकि मैंथ और रीजनिंग पर अच्छी पकड़ थी लेकिन मैंने इसे बिल्कुल उपेक्षित भी नहीं किया। मैंने परीक्षा के पूर्व इसके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी किया। साथ ही इस प्रश्नपत्र में समय-प्रबंधन पर अधिक बल दिया।

प्रश्न **प्रत्येक इंटरव्यू बोर्ड के बारे में तरह-तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। क्या आप इसमें विश्वास रखते है? क्या किसी विशेष बोर्ड में साक्षात्कार का प्राप्तांकों पर असर पड़ता है?**

उत्तर इंटरव्यू केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं बल्कि व्यक्तित्व का परीक्षण है। इसमें थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी जरूर होती है, पर इंटरव्यू बोर्ड हमारे चयन के लिए गठित किये गये है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। खुद पर भरोसा और ईमानदारी से अपने को अभिव्यक्त करने पर प्रत्येक बोर्ड से बेहतर अंक मिलते है।

प्रश्न **यह सफलता कितने प्रयासों में प्राप्त की और आप अपने पिछले प्रयासों को किस प्रकार देखते हैं?**

उत्तर यह मेरा चौथा प्रयास था। पहले भी मैंने गंभीरता से परीक्षा की तैयारी की थी लेकिन इस बार मैंने अपनी तैयारी के शुरूआत में प्रोफेशनल रूख अपनाते हुए लक्ष्य के प्रति तैयारी समय प्रबंधन के साथ शुरू कर दी थी।

प्रश्न **समय प्रबंधन चाहे वह तैयारी हो या फिर परीक्षा में उत्तर लिखते समय एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या आपने इस दौरान समय को लेकर कोई कठिनाई महसूस की? यदि हाँ, तो कैसे आपने इसका सामना किया?**

उत्तर समय प्रबंधन एक अभ्यास है। यह धैयपूर्वक और निरंतर प्रयास से सीखा जा सकता है। इसके लिए लक्ष्य के प्रति समर्पण और जूनून का भाव होना चाहिए।

प्रश्न **आपके ऐच्छिक विषय क्या थे एवं इनके चुनाव का क्या आधार था?**

उत्तर मेरा ऐच्छिक विषय समाजशास्त्र है। समाज को समझना और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना मेरी रूचि का क्षेत्र रहा है। इस विषय में मैं अपने विचारों को अधिक सहज रूप में अभिव्यक्त कर पाता था। समाजशास्त्रों की गहन समझ विकसित करने में Dharmendra Socialogy के धर्मेन्द्र सर का निरंतर सहयोगपूर्ण मार्गदर्शन मेरी सफलता में निर्णायक रहा है।

प्रश्न आपने प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए क्या योजनाएं बनाईं?

उत्तर प्रारम्भिक परीक्षा के लिए मैं सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। साथ ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से अधिक से अधिक अभ्यास किया। मुख्य परीक्षा के दौरान मैंने एक समग्र रणनीति बनाई। जिसमें ध्येय IAS और विशेषकर उनके द्वारा संचालित क्रैश कोर्स का महत्वपूर्ण सहयोग मिला। विनय सर के मार्गदर्शन में यह समझ विकसित की कि मुख्य परीक्षा केवल सूचनाओं और तथ्यों का भण्डार करना नहीं है बल्कि बेहतर विचार और चिंतन प्रक्रिया से जुड़कर विषय की समग्र समझ विकसित करना और उनकी सटीक प्रस्तुति का अभ्यास करना है। साक्षात्कार का आशय व्यक्तित्व के परीक्षण से है, इसलिए अपने व्यक्तित्व को सदैव सिविल सेवा के लिए परिष्कृत करने का प्रयास किया।

प्रश्न साक्षात्कार की तैयारी आपने कैसे की और आपका साक्षात्कार कब था, किस बोर्ड में था एवं क्या-क्या प्रश्न पूछे गए? क्या आप अपने साक्षात्कार से सन्तुष्ट थे?

उत्तर साक्षात्कार के लिए ध्येय IAS के मॉक और दृष्टि IAS के विकास दिव्यकीर्ति सर का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। इसके साथ ही ध्येय IAS में एक अनौपचारिक समूह ध्येय बिंदास ग्रुप हमने बनाया था, जिसमें विनीत अनुराग सर के मार्गदर्शन में रोजाना हम विभिन्न मुद्दों पर बहस करते थे और एक-दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते थे। इस समूह से मेरा, शिवसिंह, विकास मीणा, आदित्य झा, संदीप मीणा, मनोज रावत का अंतिम रूप से चयन भी हुआ।

मेरा साक्षात्कार 11 अप्रैल को पी. के. जोशी सर के बोर्ड में था, अधिकांश प्रश्न समसामयिक मुद्दों और मेरे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित थे।

प्रश्न आपके अनुसार विज्ञान और मानविकी विषयों में से किस विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं?

उत्तर दोनों ही विषयों में बेहतर अंक आ सकते हैं और आते हैं। सवाल दोनों में अधिक अंक आने का नहीं बल्कि अभ्यर्थी की विषय पर कैसी पकड़ है, यह अधिक मायने रखता है।

प्रश्न आपके अनुसार इस परीक्षा में हिन्दी माध्यम को लेकर तैयारी करने एवं सफलता प्राप्त करने के बारे में क्या विचार है?

उत्तर माध्यम कभी भी सफलता में बाधक नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो मै हिन्दी माध्यम से सफल नहीं हो पाता। लेकिन हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी को अपने सोचने, समझने के दायरे को बढ़ाना होगा और अधिक अनुशासित तैयारी करनी होगी।

प्रश्न क्या अभ्यर्थी के परिवार की शैक्षिक, आर्थिक और जनांकिकीय स्थिति का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है? यदि हाँ तो कैसे?

उत्तर मुझे नहीं लगता कि शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि का सफलता पर प्रभाव पड़ता है। स्वयं पर भरोसा और आगे बढ़ने का हौसला जिसमें भी रहा है, सफलता उसी को मिली है।

प्रश्न एक मानक प्रतियोगिता पत्रिका में क्या विशेष सामग्री एवं संकलन की अपेक्षा रखते हैं?

उत्तर पत्रिका केवल तथ्यों व सूचनाओं को प्रस्तुत न करके, बल्कि विषय की समझ और सोचेने की क्षमता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। साथ ही मुख्य परीक्षा का विषयवार विश्लेषण खंड भी होना चाहिए।

प्रश्न भारत में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली प्रतियोगिता पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण को इन मानकों के कितने करीब पाते हैं? इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे?

उत्तर प्रतियोगिता दर्पण ने लंबे समय से अपनी गुणवत्ता को बनाये रखा है। विषय की सटीक और सहज प्रस्तुति इसका मुख्य आकर्षण रहा है।

प्रश्न क्या आपने सामान्य अध्ययन के अतिरिक्तांकों की सीरीज का उपयोग किया जो पिछले कई वर्षों से अभ्यर्थियों के बीच बहुत पसन्द की जा रही है?

उत्तर दर्पण के अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक बेहद महत्वपूर्ण रहा हैं।

प्रश्न भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या आपने परीक्षा की तैयारी और प्रयासों हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की थी?

उत्तर मैंने प्रथम प्रयास से ही लक्ष्य केन्द्रित रणनीति निर्मित की थी। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाना और समयबद्ध रूप में उन्हें पाने का सदैव प्रयास किया।

प्रश्न आपकी सफलता का मूल-मंत्र क्या है?

उत्तर स्वयं पर भरोसा और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बदलने की क्षमता ने मुझे सफलता के दरवाजे तक पहुंचाया है। गिरने के बाद भी मैं खड़ा हुआ हूँ, इसलिए कभी भविष्य की आशा समाप्त नहीं होनी चाहिए।

BIO-DATA

NAME	:	**ANIRUDDH KUMAR**
FATHER'S NAME	:	Sh. Tarkeshwar Singh
MORTHER'S NAME	:	Smt. Ranju Devi
DoB	:	05/10/1989

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

Exam	During Years	University/Board	College/ School	%age of Mark
10th	2004	UP BOARD	I.N.H.S.S.	72.66
12th	2006	UP BOARD	B.N.S.D.S.N	85.20
B. Tech	2011	Gautam Buddha Technical University Lucknow, UP	H.B.T.I.	74.04

PRIOVIOUS SELECTIONS

1. Commercial Tax Officer - 2014

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. प्लास्टिक प्रदूषण: विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती

संदर्भ

वर्तमान में प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या बन गया है। दुनिया भर में अरबों प्लास्टिक के बैग हर साल फेंके जाते हैं। ये प्लास्टिक बैग नालियों के प्रवाह को रोकते हैं तथा आगे बढ़ते हुए वे नदियों और महानगरों तक पहुँचते हैं। चूंकि प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होता है इसलिए यह प्रतिकूल तरीके से नदियों, महासागरों आदि के जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करता है। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण लाखों पशु और पक्षी वैश्विक स्तर पर मारे जाते हैं जो पर्यावरण संतुलन के मामले में एक चिंताजनक पहलू है। जमीन या पानी में प्लास्टिक उत्पादों के ढेर से मनुष्य पक्षी और जानवरों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज दुनिया का हर देश प्लास्टिक प्रदूषण की विनाशकारी समस्याओं से जूझ रहा है।

पृष्ठभूमि

प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टीकोस से बना है, जिसका सीधा तात्पर्य है आसानी से नमनीय पदार्थ जो किसी आकार में ढाला जा सके। प्लास्टिक सामग्री को मुख्य रूप से थर्मोप्लास्टिक (पॉलीस्टायरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड) और थर्मोसेटिंग पॉलिमर (पॉलीइजोप्रीन) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनके अलावा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल इंजीनियरिंग और इलास्टोमेर प्लास्टिक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 1970 के दशक में इसका उपयोग औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। सस्ता, हल्का, ताप-विद्युत, कंपन-शोर प्रतिरोधी तथा कम जगह घेरने वाला पदार्थ होने के कारण औद्योगिक कार्यों में धातुओं की जगह इसने ले ली। तमाम खूबियों वाला यही प्लास्टिक जब उपयोग के बाद फेंक दिया जाता है तो यह अन्य कचरों की तरह आसानी से नष्ट नहीं होता। एक लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण यह लगातार एकत्रित होता जाता है और अनेक समस्याओं को जन्म देता है। जिन देशों में जितना अधिक प्लास्टिक का उपयोग होता है, वहाँ समस्या उतनी ही जटिल है। चिंता की बात तो यह है कि प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके निर्माण के दौरान, कई खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिससे मनुष्य और साथ ही अन्य जानवरों में भी भयानक बीमारियाँ हो सकती हैं।

एथीलीन ऑक्साइड जाइलीन तथा बेंजीन प्लास्टिक में मौजूद कुछ रासायनिक विषाक्त पदार्थ हैं, जो पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। इसे समाप्त करना आसान नहीं है, और यह जीवित प्राणियों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

प्लास्टिक में पाया जाने वाला कई एडिटिव (योगशील) को जहरीले सामग्री के रूप में मान्यता दी गई है, विनाइल क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल PVC पाइपों के निर्माण में किया जाता है, इसको कैंसर जनक के रूप में वगीकृत किया गया है।

प्लास्टिक उपयोग की वर्तमान स्थिति

- स्थिति यह है कि वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 15 हज़ार टन प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवर्ष हम इतनी अधिक मात्रा में एक ऐसा पदार्थ एकट्ठा कर रहे हैं जिसके निस्तारण का हमारे पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है।
- यही कारण है कि आज के समय में जहाँ देखो प्लास्टिक एवं इससे निर्मित पदार्थो का ढेर देखने को मिल जाता है।
- पहले तो यह ढेर धरती तक ही सीमित था लेकिन अब यह नदियों से लेकर समुद्र तक हर जगह नज़र आने लगा है। धरती पर रहने वाले जीव-जंतुओं से लेकर समुद्री जीव भी हर दिन प्लास्टिक निगलने को विवश हैं।
- इसके कारण प्रत्येक वर्ष तकरीबन 1 लाख से अधिक जलीय जीवों की मृत्यु होती है।
- समुद्र के प्रति मील वर्ग में लगभग 46 हज़ार प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं।
- इतना ही नहीं हर साल प्लास्टिक बैग का निर्माण करने में लगभग 4.3 अरब गैलन कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है।

प्लास्टिक निर्माण की दर

- वैश्विक स्तर पर पिछले सात दशकों में प्लास्टिक के उत्पादन में कई गुणा बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान तकरीबन 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया।
- इसमें से लगभग 6.3 अरब टन प्लास्टिक कचरे का ढेर बन चुका है, यह और बात है कि इसमें से केवल 9 फीसदी हिस्से को ही अभी तक रिसाइकिल किया जा सका है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देश के चार महानगरों यथा-दिल्ली में रोज़ाना 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में 426 टन और मुंबई में 408 टन प्लास्टिक कचरा फेंका जाता है।
- 'द गार्जियन' में हाल में छपे एक लेख के मुताबिक, दुनिया भर में प्रत्येक मिनट लाखों प्लास्टिक की बोतलें खरीदी जाती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर साल उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में प्लास्टिक उपयोग की कुल प्राकृतिक पूंजी लागत 75 अरब डॉलर है। यह बढ़ते उपभोक्तावाद और प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के साथ और बढ़ेगा।

कारण

- प्लास्टिक महंगा नहीं है, इसलिए यह अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे यह हमारी भूमि पर कब्ज़ा करता जा रहा है, जब इसको समाप्त किया जाता है, तो यह आसानी से विघटित नहीं होता है, और इसलिए यह उस क्षेत्र के भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है।
- एकबार ही प्रयोग के बाद अधिकांश लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बैग को फेंक देते हैं। इससे भूमि और साथ ही महानगरों में प्रदूषण दर बढ़ जाती है, मुख्यतः विकासशील और अविकसित देशों में इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है।
- प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने आदि, विशेषकर शहरी इलाकों में नहरों, नदियों और झीलों के जल के निकास को रोक रहे हैं।
- हर साल दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 25 मिलियन टन ना नष्ट होने योग्य प्लास्टिक पर्यावरण में जमा हो रहा है।
- अमेरिका में ठोस सार्वजनिक कचरे की कुल मात्रा में से लगभग 20% प्लास्टिक और संबंधित पॉलिमर हानिकार होते हैं। लगभग 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर USA की प्लास्टिक उद्योग का मूल्य है।
- दुनिया भर में लगभग 70,000 टन प्लास्टिक महासागरों और समुद्रों में फेंक दिए जाते हैं। मछली पकड़ने के जाल और अन्य सिंथेटिक सामग्री को जेलिफिश और स्थलीय तथा साथ ही जलीय जानवरों द्वारा भोजन समझकर, खा लिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है।

प्रभाव

- ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रदूषण और संबंधित प्रभावों की अधिक संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों के अधिकांश लोग प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं।
- हमारे द्वारा फेंके गये गंदे कचरे में प्लास्टिक की थैली और बोतलों को कई आवारा जानवरों द्वारा खा लिया जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है।
- बरसात के मौसम में, सड़क पर सड़ा हुआ प्लास्टिक का कचरा जो कि पास के जलाशय और नहरों और नालियों में बह जाता है, इस कचरे को मछलियों द्वारा खा लिया जाता है जिसके कारण मछलियों को श्वसन में परेशानी होने लगती है। इसके अलावा, इन सिंथेटिक सामग्री से पानी की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है।
- जब खुले में प्लास्टिक फेंक दिया जाता है, तो प्लास्टिक की सामग्री पानी के संपर्क में आती है और खतरनाक रसायनों का निर्माण करती है। इन यौगिकों से भूजल के स्तर में कमी आती हैं, और जल की गुड़वत्ता कम हो जाती है।
- समुद्री जल निकायों में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण जलीय जानवरों की असंख्य मृत्यु हो रही है, और इससे यह जलीय पौधे भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं।
- प्लास्टिक संचय के कारण गंदगी बढ़ती है जो मच्छरों और अन्य हानिकारक कीड़े के लिए प्रजनन का आधार बन जाता है, जो कि मनुष्यों में कई बीमारियों का कारण हो सकता है।
- हमारे घर में पानी की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक में कुछ जहरीले रसायनों जैसे स्टाइरीन ट्रिमर, बिस्फेनोल A हानिकारक रासायन है जो जानवरों की प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुँचाता है।
- जानवरों के अंदर प्लास्टिक के जैव-संचय, प्लास्टिक प्रदूषण सबसे हाल के प्रभावों में से एक है। जमी हुई प्लास्टिक हानिकारक रसायनों को मुक्त करती है, और छोटे टुकड़ों में भी विभाजित हो जाती है, तथा जानवरों की मृत्यु के बाद, उनका शरीर विघटित होता है, लेकिन प्लास्टिक के टुकड़े अन्य जानवरों के लिए खतरे के रूप में रह जाते हैं।
- हवा एक जगह से दूसरे स्थान पर प्लास्टिक का जमाव करती है, जिससे भूमि पर कूड़े में बढ़ोत्तरी होती है। यह पेड़, टॉवर, इमारतों आदि सभी जगह को प्रभावित करती है, और कोई भी जानवर जो उनके संपर्क के क्षेत्र में आता है, उसमें उलझ जाता है और उनका दम घुटने के कारण मौत हो जाती है।
- प्लास्टिक के जलने से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है और जहरीली रसायनों का विमोचन जो की वायु प्रदूषण कारण होता है। जब इनकों रीसाइकिल किया जाता है, तो मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो जहरीली रसायनों में साँस लेते हैं, जिस कारण उनको त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं के जोखिम उठाने पढ़ते हैं।

सरकारी पहल

भारत में प्लास्टिक बैग के उपयोग के संबंध में सर्वप्रथम 2002 में प्लास्टिक बैग की मोटाई से संबंधित नियम लागू किया गया था। वर्ष 2011 में इस संबंध में भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नये नियम जारी किये गये जिसके अनुसार प्लास्टिक बैगों की मोटाई 40 माइक्रोन्स तक होनी चाहिए जो पूर्व में 20 माइक्रोन्स थी। नियमों को जारी करते हुए मंत्रालय ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को अस्वीकार कर म्यूनिसिपल अपशिष्ट एकत्रीकरण को उन्नत करने पर जोर दिया था। वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया, जो कि प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2011 का स्थान लेगा। इसके अंतर्गत प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 माइक्रॉन से बढ़ाकर 50 माइक्रॉन कर दिया गया है। साथ ही नियमों के दायरे में वृद्धि करते हुए इन्हें नगरपालिका क्षेत्र से बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया गया है।

यद्यपि कि भारत के कुछ राज्यों एवं शहरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, जैसे-हिमाचल प्रदेश वर्ष 2003 में, महाराष्ट्र वर्ष 2005 में, चंडीगढ़ वर्ष 2008 में तथा दिल्ली में वर्ष 2009 में प्रतिबंधित किया जा चुका है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में थर्माकोल से बनी प्लेटों के उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका उद्देश्य जहाँ एक ओर स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले पत्तों से बने दोने और पत्तलों को बढ़ावा देते हुए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना भी है।

समाधान

- यद्यपि प्लास्टिक से बने सामान सुविधाजनक होते हैं, किंतु यह वह समय है जब हमें पृथ्वी पर प्लास्टिक की वजह से होने वाले नुकसान की जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले कि हमारी पृथ्वी की तस्वीर और भी बदसूरत हो जाये, बेहतर होगा कि हम इस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्रभावी निवारक उपाय अपनाएँ।
- इसके उपयोग में गिरावट लाने के लिए, हमें शॉपिंग के लिए जितना संभव हो पेपर या कपड़े से बने बैग्स का उपयोग करना चाहिए, और घर पर प्लास्टिक बैग लाने से बचना चाहिए।
- प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से समझना चाहिए, और पानी में तथा भूमि पर फेंके गये डंपिंग प्लास्टिक के परिणाम के बारे में समझना चाहिये। प्लास्टिक का उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।
- जिस प्लास्टिक का निपटान किया जाता है, वह पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और उनका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों में जैसे बैग, पर्स, या पाउच को बनाने में किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग उपलब्ध हैं, जो काफी हद तक मददगार साबित हुए हैं।

ये परिवर्तन धीरे-धीरे हमारी समस्या को कम कर सकते हैं और प्लास्टिक के प्रति हमारे आकर्षण को भी कम कर सकते हैं इसलिए हमें छोटे-छोटे कदम उठाकर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में योगदान देना चाहिए। यह वह समय है जब हम कुछ निवारक कदम उठाकर अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग के उपयोग को समाप्त करने के सन्दर्भ में दो प्रकार के उपाय अपनाये जा सकते हैं प्रथम प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाकर तथा द्वितीय जन जागरूकता के माध्यम से।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. रेशम उद्योग का नया युग

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की 'समेकित सिल्क उद्योग विकास योजना' को मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जायेगा। किसानों की मदद के लिये केंद्र खोले जायेंगे और उन्नत बीज के विकास पर भी खास जोर होगा। इस फैसले के बाद रेशम का उत्पादन वर्ष 2017 के 30348 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर 2020 की समाप्ति तक 38500 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। वर्ष 2020 तक रेशम का उत्पादन वर्तमान 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर से 111 किलोग्राम के स्तर तक लाने के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जायेगा। इस योजना से खासतौर पर महिला उद्यमिता और अनुसूचित जाति के साथ ही अनुसूचित जनजाति समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। इससे मोदी सरकार का प्रयास इस बात को लेकर है कि वर्ष 2022 तक रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हो जाये। इस लक्ष्य को हासिल करने पर, वर्ष 2022 तक भारत में उच्च कोटि के रेशम का उत्पादन 20,650 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा, जो वर्तमान में 11,326 मीट्रिक टन ही है। गौरतलब है कि पहली बार उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन में सुधार पर ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेशम के ब्रान्ड प्रमोशन को सिल्क मार्क द्वारा गुणवत्ता प्रमाण ापत्र के जरिए न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात बाजार में भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या है समेकित सिल्क विकास योजना?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की 'समेकित सिल्क उद्योग विकास योजना' को मंजूरी दे दी है।

इस योजना के चार भाग हैं-

1. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी पहल।
2. अंडा संरचना और किसान विस्तार केंद्र।
3. बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए समन्वय और बाजार विकास।
4. रेशम परीक्षण सुविधाओं, खेत आधारित और कच्चे रेशम के कोवे के बाद टेक्नोलॉजी उन्नयन और निर्यात ब्रांड का संवर्द्धन करने की श्रृंखला के अलावा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के तीन वर्षों में योजना के कार्यान्वियन के लिए 2161.68 करोड़ रुपए के कुल आवंटन की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय केन्द्रीय रेशम बोर्ड के जरिए योजना को लागू करेगा।

उद्देश्य

योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान और विकास के जरिए रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। अनुसंधान और विकास का मुख्य जोर उन्नत क्रॉसब्रीड रेशम और आयात के विकल्प के रूप में बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा देना है ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जा सके कि 2022 तक कच्चे रेशम का आयात नगण्य हो जाए और भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए।

अनुसंधान और विकास में उन्नत जीवधारी पौधों की किस्मों के विकास के जरिए प्रजाति में सुधार और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों जैसे आईआईटी, सीएसआईआर, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा जापान, चीन, बुल्गारिया आदि में रेशम उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान के जरिए बीमारी प्रतिरोधी रेशम कीट पालन में सुधार; कच्चे रेशम के कोवे से पूर्व और कोवे के बाद के क्षेत्रों में तकनीकी सुधार शामिल है। तकनीकी सुधार और सस्ते मशीनीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कुक्कुटों के भोजन के लिए रेशम के कीड़ों के उप-उत्पादों (प्यूपा), कॉस्मेटिक में इस्तेमाल के लिए सेरिसिन और बिना बुने वस्त्रों , रेशम डेनिम, रेशम निट आदि के विविधिकरण पर वर्धित मूल्य वसूली के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अंडा क्षेत्र के अंतर्गत अंडा उत्पादन इकाइयों को मजबूत बनाया जाएगा ताकि बढ़े हुए रेशम उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के अलावा उत्पादन नेटवर्क में गुणवत्तापूर्ण मानकों को स्थापित किया जा सके। गुणवत्तापूर्ण अंडा ककूनों के उत्पादन के लिए चौकी कीटों के उत्पादन और आपूर्ति के

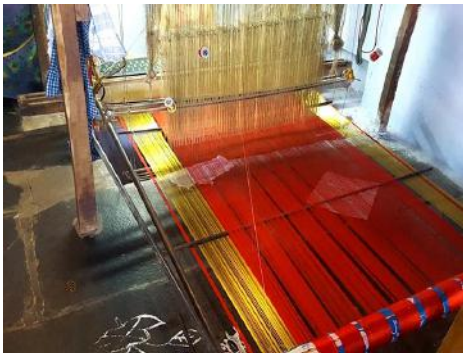

लिए इनक्यूबेशन की सुविधाओं के साथ चौकी रियरिंग केंद्रों और गुणवत्तापूर्ण अंडों के साथ ही निजी ग्रेनियरों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। अन्य प्रयासों में नए शीत-भंडारण स्थापित करना, मोबाइल डिसइंफेक्शन इकाइयां प्रदान करना और मशीनीकरण के लिए उपकरण सहायता शामिल है।

सीड कानून के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया और अंडा उत्पादन केंद्रों द्वारा रिपोर्टिंग, मूलभूत सीड फार्म, विस्तार केंद्रों को वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित कर स्वचालित बनाया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी लाभान्वित रेशम पालकों, सीड उत्पादकों चौकी रियररों को आधार से जोड़कर डीबीटी मोड में लाया जाएगा। शिकायतों के समय पर निवारण और सभी पहुंच कार्यक्रमों के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी।

भारतीय रेशम के ब्रान्ड प्रमोशन को सिल्क मार्क द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्र के जरिए न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात बाजार में भी प्रोत्साहित किया जाएगा। रेशम के कीड़ों के अंडे, ककून और कच्चे रेशम को ककून परीक्षण केंद्र तथा रेशम परीक्षण केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्पाद और डिजाइन विकसित करने के लिए निफ्ट और एनआईडी के साथ सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस योजना से लाभ

इस योजना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-

1. पहली बार उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन में सुधार पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया गया है। प्रस्ताव रखा गया है कि 2020 तक 4ए ग्रेड के रेशम का उत्पादन शहतूत के उत्पादन का वर्तमान 15 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा।
2. कार्यान्वयन की रणनीति रेशम उत्पादकों को अधिकतम लाभ देने के लिए स्पष्ट रूप से ग्रामीण विकास की मनरेगा, आरकेवीवाई और कृषि मंत्रालय की पीएमकेएसवाई जैसी अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ राज्य स्तर की योजनाओं के मिलन पर आधारित है। इससे राज्यों के साथ बेहतर संबंध कायम होगा।
3. बीमारी प्रतिरोधी रेशम के कीड़े, जीवधारी पौधे में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने संबंधी साधनों और रीलिंग तथा कताई के लिए सामग्री आदि से जुड़ी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का कार्य मंत्रालयों यानि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के सहयोग से किया जाएगा। इससे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
4. रोजगार की पर्याप्त क्षमता में वृद्धि होगी, चूँकि पिछले कुछ सालों से रोजगार के अवसर कम हुए हैं अगर कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना है तो कृषि से संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। जिनमे मुख्य रूप से मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन मछली पालन, भेंड़-बकरी पालान, मशरूम की खेती, बागवानी, आदि में अपार रोजगार की संभावना है, इसमें प्रमुख रूप से समेकित सिल्क विकास योजना है।
5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ एक स्वच्छ बाजार का निर्माण होगा।
6. कम समय में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, चूँकि सरकार ने भी किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ऐसे में इस योजना से किसानों को भी बल मिलेगा साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किसान आत्महत्या में कमी आएगी।
7. महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय, आदिवासी परिवार की महिलाएं इस योजना से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहीं हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य में रांची जिले के किसानों को कृषि से होने वाली आय में धान की खेती को छोड़कर सबसे अधिक फायदा इसी क्षेत्र से होता है।
8. समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक आदर्श कार्यक्रम है।
9. पर्यावरण-अनुकूल कार्यकलाप को बढ़ावा मिलेगा।
10. समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति होगी अर्थात समाज में समानता आएगी।

सरकारी पहल

रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। रेशम के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी का उत्पादन भारत के किसी न किसी भू-भाग में होता है। भारतीय बाजार में इसकी खपत भी काफी है, पिछले तीन दशकों से भारत का रेशम उत्पादन धीरे-धीरे बढ़कर जापान और पूर्व सोवियत संघ के देशों से ज्यादा हो गया है। इस दिशा में सरकारी पहल काफी सराहनीय है जो निम्न है-

- बारहवीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के माध्यम से रेशम-कीट पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 'चाकी कीट' पालन केन्द्र उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए कृषकों को चॉकी कीट की आपूर्ति करता है। इसके लिए बाकायदा अनुदान की व्यवस्था है इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ लाभार्थियों की हिस्सेदारी होती है।
- राज्य के बीजागारों हेतु भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 40 : 40 फीसदी की हिस्सेदारी होती है। जिसमें निजी लाभार्थी का 20 फीसदी, सरकार की 40 फीसदी तथा राज्य की 40 फीसदी हिस्सेदारी होती है।
- शहतूत पौधारोपण विकास हेतु सहायता: इसके तहत प्रति एकड़ 14,000 रु. की लागत के साथ झाड़ीनुमा तथा वृक्ष पौधारोपण करने में सहायता की जाती है, जिसमें रासायनिक उर्वरक, गोबर की खाद, कीटनाशक आदि निवेश शामिल हैं। इसके तहत केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 50 : 25 है तथा 25 फीसदी लाभार्थी की भी है।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बीमा कंपनी को राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमीयम के 50 फीसदी प्रतिपूर्ति करेगा।

मलबरी स्वावलंबन-योजना

इस योजना के अंतर्गत रेशम संचालनालय द्वारा शहतूत पौधारोपण प्रति एकड़ 6,200 रुपये की मदद की जाती है। रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम, रेशम उत्पाद बिक्री एवं विपणन योजना के तहत भी राज्य सरकारें रेशम तैयार करने वालों की मदद करती हैं।

रेशम कीट पालन हेतु वित्तपोषण

रेशम की खेती से संबंधित कार्यकलापों में व्यस्त व्यक्तिगत किसान, स्वयंसहायता समूह, फर्म, कंपनियों को आर्थिक रूप से मदद दी जाती है। इस ऋण का भुगतान चार से नौ साल के अंदर करना होता है।

चुनौतियां

- भारत इस समय विश्व में चीन के बाद कच्चे सिल्क का दूसरा प्रमुख उत्पादक है जो अपने-आप में बड़ी उपलब्धि है लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी है जो निम्न हैं-
- भारत में सिल्क की घरेलु मांग लगातार बढ़ती जा रही है साथ ही देश के एक-तिहाई कच्चे सिल्क की मांग की पूर्ति चीन से होती है। अर्थात चीन से आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

देश	2011	2012	2013	2014	2015	2016
बांग्लादेश	38	43	43	45	44	44
ब्राजील	558	614	550	560	600	650
बुलगारिया	6	8.5	85	8	8	9
चीन	1,04,000	1,26,000	1,30,000	1,46,000	1,70,000	1,58,400
कोलंबिया	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	
मिस्र	0.7	0.7	0.7	0.82	0.83	1.2
भारत	23,060	23,679	26,480	28,708	28,523	30,348
इंडोनेशिया	20	20	15	10	8	4
ईरान	120	123	123	110	120	125
जापान	42	30	30	30	30	32
उ. कोरिया	300	300	300	320	350	365
द. कोरिया	3	1.5	1.6	1.2	1	1
फिलीपींस	1.00	0.89	1.00	1.10	1.20	182
सीरिया	0.50	0.50	0.70	0.50	0.30	0.25
थाईलैण्ड	655	655	680	692	698	712
ट्यूनिशिया	3	3.95	4	4	3	2
टर्की	22	22	25	32	30	32
उज्बेकिस्तान	940	940	980	1100	1,200	1256
वियतनाम	500	450	475	420	450	523
मेडागास्कर	16	18	18	15	5	6
कुल	1,30,285.80	1,52,910.14	1,59,737.10	1,78,057.62	2,02,072.83	1,92,692.45

- घरेलु सिल्क उत्पादन की धीमी गति।
- भारतीय सिल्क उद्योग का परंपरागत उत्पादन व्यवस्था पर आधारित होना अर्थात अभी तक सिल्क उद्योग का आधुनिकीकरण न होना।
- भारत में सिल्क उद्योग का व्यावसायीकरण न होना अर्थात निजी निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश की अनुमति न दिया जाना।
- पुराने समय में भारतीय सिल्क की मांग अधिक होती थी साथ ही इसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी लेकिन समय के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता में अन्य देशों की तुलना में काफी कमी आई है।
- चीन के सस्ते रेशम की तुलना में भारतीय रेशम का निम्न कोटि का होना।
- सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक न पहुंच पाना।
- किसानों में जागरूकता की कमी।
- कृषि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
- भ्रष्टाचार भी एक बड़ी चुनौती हैं क्योंकि समय-समय पर किसानों से तो कई वादे किए जाते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन कागजों पर ही रहता है।

आगे की राह

- रेशम ऊंचे मूल्य किंतु कम मात्रा का उत्पाद है जो विश्व के कुल उत्पादन का मात्र 0.2% है। चूंकि रेशम उत्पादन एक श्रम आधारित उच्च आय देने वाला उद्योग है तथा इसके उत्पादों के अधिक मूल्य मिलते हैं। विकासशील देशों में रोजगार सृजन हेतु खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग को आगे-बढ़ाने की आवश्यकता है।
- भारत की बढ़ती घरेलु सिल्क मांग को देखते हुए भारत को घरेलु सिल्क उत्पादन बढ़ाना होगा साथ ही इस मांग को कम करने के लिए चीन से आयातित सिल्क पर भारी टैक्स लगाने की आवश्यकता है।
- भारत में सिल्क उद्योग प्राचीन समय से ही विद्यमान है लेकिन परम्परागत उत्पादन व्यवस्था पर आधारित है। इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है।
- चूंकि सरकार के पास धन के स्त्रोत सीमित हैं इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह सिल्क उद्योग का भी व्यावसायीकरण करे जिससे इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जा सके।
- भारतीय सिल्क उद्योग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ समझौतों के माध्यम से नई तकनीकी को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- चूंकि चीन तकनीकी रूप से सक्षम है इसलिए उसका उत्पादन लागत काफी कम होता है और उसकी सिल्क से बनी वस्तुएं सस्ती होती हैं। इसलिए चीन से आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, इस समस्या से उचित प्रतिबंधों के साथ निपटने की जरूरत है।
- आजादी के 70 साल बाद भी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचना मुश्किल है। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा की इन योजनाओं का लाभ सीधे किसानों को मिल सके।
- सिल्क उद्योग पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ किसानों में जागरूकता की कमी है, इसके लिए, किसान विकास चैनलों, स्कूलों, कॉलेजों, जागरूकता अभियानों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए।
- कृषि क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से प्रभावी तरीके से निपटने की आवश्यकता है साथ ही लघु कुटीर उद्योगों से संबंधित एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

निवेश मॉडल।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

■

3. स्टेम सेलः जैव चिकित्सा विज्ञान का उभरता क्षेत्र

चर्चा का कारण

स्टेम सेल आधारित उपचार को लेकर हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, मरीज के शरीर से सेल (कोशिका) निकालकर उसके ही शरीर में उपचार के लिए उसे ट्रांसप्लांट करने में अब कोई अड़चन नहीं रहेगी। लेकिन, अगर सेल को प्रॉसेस के लिए लैब में भेजा जाता है, तो इसके लिए ड्रग ऐंड कॉस्मेटिक ऐक्ट के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानकों का ध्यान देना होगा। हालांकि स्टेम सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डॉ. बी. एस. राजपूत ने कहा कि स्टेम सेल को लेकर सरकार का लिया गया फैसला काफी सकारात्मक है। कई तरह की बीमारियों में जब दवाईयां काम नहीं करतीं, तो स्टेम सेल एक आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके काफी असरदार परिणाम भी देखने को मिले हैं। इस उपचार के लिए देश से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग भारत आ रहे हैं। सरकार के नए कदम से इस उपचार का दायरा और भी बढ़ेगा।

आईसीएमआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर जारी अधिसूचना पर जल्द ही सरकार से बात की जाएगी। 2017 में सरकार द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुसार स्टेम सेल आधारित उपचार अप्रमाणिक बताया गया था लेकिन कई डॉक्टरों, खासकर हड्डी रोग विशेषज्ञों द्वारा इस उपचार को बहुत प्रभावी बताया जाता है।

पृष्ठभूमि

स्टेम सेल शरीर की मूल कोशिका है, इसलिए पहला स्टेम सेल भ्रूण में ही बनता है। मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है और इनके अपने-अपने कार्य होते हैं। स्टेम कोशिका या मूल कोशिका या स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

1960 में कनाडा के वैज्ञानिकों अर्नस्ट.ए. मुकलॉक और जेम्स.ई.टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए स्नोत के आधार पर भ्रूणीय वयस्क तथा कॉर्डब्लड में बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम सेल कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती है। ये जन्म के समय ही सुरक्षित रखनी होती हैं। हालांकि बाद में हुए किसी छोटे भाई या बहन के जन्म के समय सुरक्षित रखीं कोशिकाएं भी सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

भारत में स्टेम सेल थेरेपी का नियमन

भारत में स्टेम सेल थेरेपी अनुमोदित उपचार विधि नहीं है। केवल हेमेटोलॉजिकल विकारों और कैंसर के लिए अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण ही अनुमोदित स्टेम सेल थेरेपी का एक प्रकार है और पिछले 25 से अधिक वर्षों से चलन में है। इस मामले में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने वर्ष 2002 में 'मूल कोशिका अनुसंधान के लिए मसौदा दिशा निर्देश/विनियम' जारी किये थे, जिन पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया।

- इसके परिणामस्वरूप स्टेम सेल अनुसंधान एवं थेरेपी के लिये दिशा-निर्देश 2007 में जारी किये गए थे। इसके बाद सभी हितधारकों से प्राप्त सूचना और परामर्श को सम्मिलित करके दिशा-निर्देश को नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च 2013 के तौर पर तैयार किया गया। यह दस्तावेज़ इस क्षेत्र में कार्य कर रहे अनुसंधान करने के लिये मार्गदर्शन करता है।
- 2013 के इस दस्तावेज़ में कुछ संशोधनों को सम्मिलित करके तथा अन्य नियमों और विनियमों के सम्मिश्रण के साथ संशोधन कर 11 अक्टूबर, 2017 को जारी किया गया था। स्टेम सेल थेरेपी अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय दिशानिर्देश-2017 के अनुसार केवल रक्त संबंधी विकारों (रक्त कैंसर और थैलेसीमिया सहित) के लिये बोन मैरो/हेमारोपोइटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण के लिये स्टेम सेल थेरेपी के उपयोग की मंज़ूरी दी गई है।

स्टेम सेल थेरेपी क्या है?

स्टेम सेल थेरेपी में यह क्षमता होती है कि यह शरीर के उन ऊतकों और अंगों को पुनर्जीवित कर देती है जो किसी रोग या जन्मजात विकृतियों के कारण बेकार हो गए हैं। स्टेम सेल ऐसी मुख्य कोशिकाएँ हैं जो मस्तिष्क कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं आदि जैसी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और अंगों के ऊतकों (Tissues) में विकसित हो सकती हैं। यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि इस थेरेपी से असाध्य रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें रोगमुक्त होने तथा अंगों के पुनर्जीवित होने की अद्भूत क्षमता होती है। इस थेरेपी की यह क्षमता इसे थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, लिंफोमा और अन्य कैंसर जैसे विकट रोगों का उपचार करने के लिये एक आदर्श विकल्प बनाती है। इनके अलावा रीढ़ की हड्डी की चोट, लिवर संबंधी विकार, टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज, हृदय संबंधी विकार, तंत्रिका तंत्र के विकार, आनुवंशिक विकार, किडनी विकार, पार्किंसन्स रोग, अल्ज़ाइमर आदि में भी स्टेम सेल थेरेपी को उपयोगी माना जा रहा है।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि विश्वभर में अभी तक स्टेम सेल से इलाज के लिये जो तरीका मान्यता प्राप्त है, वह अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण (Bone Marrow Tranplantation) का ही है तथा कानूनन अन्य सभी प्रयोग अभी शोध के चरण में है।

वैज्ञानिकों के अनुसार स्टेम सेल चार प्रकार की होते हैं जो निम्न हैं।

1. **टोटीपोटेंटः** इस भ्रूण सेल को कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है और अपनी संख्या को बढ़ाते रहना इसकी विशेषता होती है।
2. **मल्टीपेटिंटः** ये कोशिकाएँ किसी अंग को बढ़ाने या उसकी मरम्मत करने वाली होती हैं, जैसे- अस्थि-मज्जा या रक्त बनाने में सहायक कोशिकाएँ।
3. **प्लूरीपीटेंटः** इस सेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी भी कोशिका का रूप ले लेती हैं।
4. **यूनी पोटेंटः** इस प्रकार की कोशिकाएँ स्वयं ही बढ़ने वाली होती है तथा समय पड़ने पर परिपक्व कोशिका का रूप ले लेती है।

स्टेम सेल के स्त्रोत

- स्टेम सेल शरीर के निम्नलिखित भागों से लिए जाते हैं-

  भ्रूण (Umbilical Cord) : इस प्रकार के स्टेम सेल लेने के लिये 16 हफ्ते के गर्भ का माता-पिता की अनुमति लेकर गर्भपात

कराया जाता है और उससे ये स्टेम सेल लिये जाते हैं। इसमें भी मैचिंग की जरूरत होती है और यह अमानवीय भी है। कानूनन इसकी अनुमति नहीं है।

- **गर्भनाल (Umbilical Cord) :** यह स्टेम सेल्स और ऊतकों का एक समृद्ध स्त्रोत है। परंपरागत रूप से गर्भनाल को काटने के बाद इसे स्टेम सेल बैकों में सुरक्षित रखवा दिया जाता है। इससे मिलने वाले स्टेम सेल्स और ऊतकों का उपयोग शिशु के संपूर्ण जीवनकाल के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण में किया जा सकता है। यदि ये स्टेम सेल शिशु के भाई-बहनों से मेल खाते हैं तो उनके लिये भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- **वयस्क (अस्थि-मज्जा या रक्त) स्टेम सेलः** वयस्क स्टेम सेल दो तरह के होते हैं- बोन मैरो और कॉर्ड ब्लड, लेकिन इन दोनों ही तरह के हासिल किये गए सेल्स से बीमारियों का इलाज करने के लिये मैचिंग की जरूरत होती है। अर्थात् किसी के ब्लड से लिये गए सेल को किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसके लिये उसी तरह मैचिंग की जरूरत होती है, जैसे किसी रोगी को रक्त चढ़ाते समय होती है।
- ओटोलोगस बोनमेरो स्टेम सेल को सबसे उच्चतम मानक माना जाता है, क्योंकि इसमें अधिकतम क्षमता होती है। इसलिये इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। भ्रूण सेल की तुलना में वयस्क स्टेम सेल में गुणवत्ता अधिक होती है।

उपचार एवं लाभ

स्टेम सेल निम्न रोगों के उपचार में लाभदायक है-

- न्यूरोमस्लकर रोग, आर्थराइटिस, मस्तिष्क चोट, मधुमेह, डायस्ट्रोफी, एएलएस, पक्षाघात अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए स्टेम सेल उपचार को काफी प्रभावी माना जा रहा है। प्रयोगशाला में बनाई गई स्टेम कोशिकाएँ निकट भविष्य में कई प्रकार के रक्त कैंसर का उपचार कर सकती हैं। इस प्रक्रिया द्वारा दांत का उपचार भी संभव है। एक जापानी स्टेम कोशिका वैज्ञानिक युकियों नाकामुरा के अनुसार एप्लास्टिक एनीमिया यानि ला रक्त कणिकाओं की कमी और थैलीसीमिया का स्टेम कोशिका तकनीकी से उपचार संभव है।
- स्टेम सेल्स के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कोशिकाएँ हमारे अपने शरीर की होती हैं तथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें बाह्य समझकर अस्वीकार नहीं करता।
- स्टेम सेल बैकिंग शिशु को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में किया गया एक प्रयास है।
- आजकल कई माता-पिता अब गर्भनाल को स्टेम सेल बैंक में जमा करने का विकल्प अपनाने लगे हैं, ताकि इन जीवनदायी स्टेम सेल्स और ऊतकों का भविष्य में बीमारियों की स्थिति में उपयोग किया जा सके।
- माना जाता है कि मान्यता मिल जाने के बाद स्टेम सेल्स का उपयोग 80 प्रकार की चिकित्सकीय परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- प्रयोगशाला में कोशिका को उपयुक्त पोषक पदार्थ और वृद्धि कारकों की उपस्थिति में संवर्द्धित किया जाता है, जिससे विशिष्ट जीन सक्रिय होते हैं, कोशिका विभाजन बढ़ता है और विशेष ऊतकों का निर्माण होता है।

चिंताएं

- विश्व के अन्य अधिकांश देशों की तरह भारत में भी स्टेम सेल उपचार अभी अनुसंधान के स्तर पर है।
- इसका जितना विकास देश में होना चाहिये था, उतना हुआ नहीं है।
- इस दिशा में नियमन और नियंत्रण के लिये कोई कानून नहीं है, इसके कारण शोध आदि करने में कठिनाई होती है।
- एक अन्य कारण इसका बहुत महँगा होना है।
- भारत में क्लीनिकल ट्रायल करना भी आसान नहीं है।
- भारत में एम्स जैसे कुछ विशेष मेडिकल संस्थानों में पब्लिक स्टेम सेल बैंक हैं, वहीं प्राइवेट स्टेम सेल बैंकिंग की सुविधा कई जगह उपलब्ध नहीं है।
- अभी दुनिया भर में इस पर शोध चल रहा है फिर भी रीढ़ की हड्डी की चोट में स्टेम सेल से इलाज कमाई का जरिया बना हुआ है। इस पर एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया (एएसएसआइ) ने सख्त आपत्ति जताई है।
- नियमानुसार यदि कोई अस्पताल या डॉक्टर स्टेम सेल से रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज करता है तो वह मरीज से शुल्क नहीं ले सकता लेकिन डॉक्टर इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

आगे की राह

- एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया (एएसएसआइ) के सचिव व इंडियन स्पाइनल इंजुरीक सेंटर के चिकित्सा निदेशक डॉ. एचएस छाबड़ा ने कहा कि यह सही है कि स्टेम सेल से काफी उम्मीदें और संभावना हैं पर दुनिया भर में कहीं भी अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि स्टेम सेल रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज में कारगर है। जब तक शोध से यह साबित नहीं हो जाता तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
- स्टेम सेल से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है अर्थात् इसे देश में बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही इससे संबंधित चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ावा देना होगा।
- स्टेम सेल थेरेपी के क्षेत्र में कड़े और स्पष्ट कानून की जरुरत है जिससे की इस दिशा में शोध को बढ़ावा दिया जा सके।
- भारत में इसका विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके उपकरण बहुत मंहगे हैं इसके लिए सरकार को चाहिए की वो विकसित देशों के साथ समझौता कर नई तकनीकी भारत में लाये साथ ही जहाँ सब्सिडी की जरूरत हो या फिर वित्तीय मदद की, दोनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भारत में क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद ही इसे मान्यता मिलनी चाहिए।
- इससे संबंधित अवैध करोबार को समाप्त करने की जरूरत है साथ ही संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, जिससे गरीब जनता को झोलाछाप डाक्टरों से बचाया जा सके।
- स्टेम सेल बैंक को एम्स के अलावा अन्य सरकारी अस्पतालों में भी स्थापित करने की जरुरत है जिससे गरीब से गरीब लोगों तक इसका इलाज आसानी से पहुंच सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

■

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण के वर्तमान प्रयास

चर्चा का कारण

विश्व की 95 फीसदी आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है और वैश्विक तौर पर प्रदूषण से होने वाली मौतों में 50 फीसदी के लिए चीन और भारत अकेले जिम्मेदार हैं। 'सीएनएन' के अनुसार, बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीयूट (एचईआई) की सालाना वैश्विक वायु प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार, लंबे समय तक वायु प्रदूषण के प्रभाव में रहने से 2016 में दुनिया भर में अनुमानित 61 लाख लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 लाख के आंकड़े के साथ भारत और चीन वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में शीर्ष पर हैं। चीन ने वायु प्रदूषण घटाने में कुछ प्रगति की थी, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 2010 से वायु प्रदूषण के स्तर में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण विश्व स्तर पर उच्च रक्तचाप, कुपोषण और धूम्रपान के बाद स्वास्थ्य जोखिमों से होने वाली मौतों का चौथा सबसे बड़ा कारण था।

सीएनएन ने एचईआई के उपाध्यक्ष बॉब ओकीफे 24 अप्रैल को दिए एक बयान के हवाले से कहा, वायु प्रदूषण दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेदार है, जो श्वांस रोग से पीड़ित लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर देता है, युवाओं और वृद्धों को अस्पताल भेज देता है, स्कूल तथा काम छूट जाते हैं और जल्दी मौत का कारण बन जाता है।

वायु प्रदूषण क्या है?

वायु प्रदूषण उस स्थिति को दर्शाता है जब अवांछित तत्व और कण पर्यावरण में उस हद तक इकठ्ठे होते रहते हैं जिसे परिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। हानिकारक पदार्थों के निकलने से भी वायु प्रदूषित होती है। यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है और पर्यावरण, मनुष्यों, पौधों और पशुओं को नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण ने ओजोन परत पर प्रभाव डाला है जिससे जलवायु पर प्रतिकूल असर हुआ है। वायुमंडल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव जीवन के लिए हवा महत्वपूर्ण है। वायुहीन स्थानों पर मानव जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है क्योंकि इंसान बिना हवा के 5-6 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति द्वारा पूरे दिन में औसतन 20000 सांस ली जाती है। इस सांस के दौरान मनुष्य 35 पाउंड के हवा का उपयोग करता है। अगर यह जीवन देने वाली हवा साफ नहीं है तो जीवन देने की बजाय यह जीवन लेने लगेगी।

पृष्ठभूमि

वायु जीवन का आधार है। स्वस्थ रहने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है। हवा की संरचना में परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गया है। भारत जैसे विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड के लिए भी वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। भोपाल गैस त्रासदी (1984), मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में आग से उत्पन्न धुंआ (1997) वायु प्रदूषण का भयावह उदाहरण हैं। वायु प्रदूषण ने ''अर्थ कांफ्रेंस'' की विषय सूची में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है। वायु प्रदूषण तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और हृदय रोगों, तपेदिक आदि रोगों के लिए जिम्मेदार है।

भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ा सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हम प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के अन्य देशों से पीछे चल रहे हैं। यदि भारत और चीन के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। 1990 में भारत में ओजोन परत की हानि होने की वजह से मृत्यु दर 53 प्रतिशत बढ़ गई और 2005 के बाद से 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1990 में चीन में ओजोन परत की कमी से होने वाली मौतों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2005 के बाद से उसमें गिरावट आई है। इसी तरह से 1990 से चीन में पीएम 2.5 कणों के कारण मृत्यु दर 17 प्रतिशत बढ़ी है। इसी समय में भारत में पीएम 2.5 कणों के कारण मृत्यु दर 47 प्रतिशत से बढ़ी है। भारत में वायु प्रदूषण हर साल 12 लाखा लोगों की हत्या कर रहा है। यह एक तरह का अदृश्य हत्याकांड है जिसे समय रहते रोका जाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह दिन बहुत दूर नहीं है कि जब भारत के लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए अन्य देशों में शरण लेने के लिए पलायन करना होगा।

वर्तमान परिदृश्य

भारत में वायु प्रदूषण का स्तर इस हद तक खतरनाक हो गया है कि यह हर मिनट में 2 लोगों को मार रहा है। एक समाचार रिपोर्ट 'द लेंसेट काउंटडाउन' के मुताबिक, वायु प्रदूषण के चलते हर साल एक लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं, जिसमें से लगभग 2880 लोग भारत में हर रोज मर जाते हैं।

'द लेंसेट काउंटडाउन' के अनुसार, वायु प्रदूषण के चलते दुनिया में लाखों लोग मरते हैं। इसमें घर के अंदर और बाहर का वायु प्रदूषण भी शामिल है, इसका मतलब है कि आप घर के अंदर रहने से दुनिया की समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण आपको वहाँ भी मार सकती है। यह रिपोर्ट 16 विभिन्न संस्थानों के 48 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार, जहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार सही नहीं है वहाँ लोगों की मृत्यु का जोखिम ज्यादा है। पीएम 2.5 कणों का औसत वार्षिक स्तर प्रति घन मीटर 120 माइक्रोग्राम दिल्ली और पटना में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों की तुलना में 12 गुना अधिक है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक

भारत में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण के मानकों को निर्धारित करता है। भारत में प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए सीपीसीबी राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता के अनुसार किसी भी क्षेत्र में वार्षिक औसत पीएम 10 कण 60 घन मीटर प्रति माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रीन पीस के अनुसार, दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर, देश के लगभग सभी शहरों में प्रदूषण के कारण हर साल 12 लाख लोग मर जाते हैं। ये रिपोर्ट 168 शहरों से प्राप्त वायु प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित हैं। रिपोर्ट का दावा है कि भारत का कोई शहर वायु प्रदूषण के मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों को पूरा नहीं करता है। अगर डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित पैमाने को आधार माना जाए, तो रिपोर्ट में शामिल भारत में हर शहर प्रदूषण परीक्षण में विफल हो गया है। ये रिपोर्ट वर्ष 2015 में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर हैं। ग्रीन पीस के अनुसार प्रदूषण के पीएम 10 मानकों के मामले में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद दो नंबर पर गाजियाबाद और तीन नंबर पर इलाहाबाद, चार नंबर पर बरेली और पांच नंबर पर फरीदाबाद है। कर्नाटक का हसन शहर इस सूची में अंतिम स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के कई शहरों की तुलना में उत्तर भारत के शहर ज्यादा प्रदूषित हैं। भारत में वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है।

- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रदूषण का औसत वार्षिक स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। चीन की तुलना में भारत में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2017, नामक वायु प्रदूषण से संबंधित एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2015 में ओजोन परत की हानि के कारण भारत में 25,4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओजोन पर्यावरण की परत है जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। जब ओजोन परत का नुकसान होता है तो लोगों को फेफड़े की बीमारी से संबंधित बीमारियां फैलती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 में फेफड़ों के रोगों के कारण भारत में 25 लाख लोग मारे गए। ओजोन परत की हानि के कारण भारत में हर साल लाखों लोगों की मौत हो रही है। यह आंकड़ा बांग्लादेश की तुलना में 13 गुना अधिक है और पकिस्तान से 21 गुना अधिक है।
- वायु प्रदूषण के मामले में भारत की तुलना में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हवा बहुत स्वच्छ है। कई साल बाद भी वायु प्रदूषण अपनी गति से भारत में बढ़ रहा है। चाहे वह केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी को प्रदूषण से लड़ने के लिए इसे अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केन्द्र सरकार ने कहा कि भारत में वायु प्रदूषण की निगरानी पर हर साल लगभग 17 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं जोकि 132 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश के लिए बहुत कम है। यह दर्शाता है कि हम वायु प्रदूषण के खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

वायु प्रदूषण के कारणः प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से वायु के दूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। अतः वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण हैः प्राकृतिक एवं मानवीय।

प्राकृतिक कारणः प्रकृति में ऐसे कई स्रोत हैं जो वायु मण्डल को दूषित करते हैं। यथा ज्वालामुखी क्रिया, दावाग्नि (वनों की आग), जैविक अपशिष्ट, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान उत्सर्जित लावा, चट्टानों के टुकड़े, जलवाष्प, राख, विभिन्न गैसें इत्यादि वायुमण्डल को दूषित करते हैं। दावाग्नि या वनों की आग के कारण राख, धुंआ गैसें इत्यादि वायु को प्रदूषित करतीं है। दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थो के सड़ने के कारण मीथेन गैस वायुमण्डल को दूषित करती है। इसके अतिरिक्त कोहरा, उल्कापात, सूक्ष्मजीव, परागकण, समुद्री खनिज भी वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं। किन्तु प्राकृतिक स्रोतों से होने वाला वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत सीमित एवं कम हानिकारक हैं।

मानवीय कारणः मानव (मनुष्य जाति) के विभिन्न क्रिया कलापों द्वारा वायु प्रदूषण निरन्तर बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण के प्रमुख मानवीय कारण निम्न हैं-

1. **वनों का विनाशः** जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि के कारण कृषि भूमि, आवासीय भूमि, औद्योगीकरण इत्यादि मानवीय मांगों की पूर्ति बढ़ी है जिसकी आपूर्ति वनों को काटकर की जा रही है। वनों की उपस्थिति में पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है वनों के विनाश के कारण यह असंतुलित हो गया है।
2. **उद्योग/कल कारखानेः** वायु प्रदूषण के स्रोतों में उद्योग मुख्य कारक है। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में औद्योगीकरण हुआ परन्तु साथ ही वायु मण्डलीय प्रदूषण जैसी गम्भीर समस्या में बढ़ोत्तरी हुई है। उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाईआक्साइड, सल्फर मोनो आक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, धूल के कण, वाष्प कणिकायें, धुंआ इत्यादि वायु प्रदूषण का मुख्य कारक हैं।
3. **परिवहनः** परिवहन वायु प्रदूषण का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही परिवहन के साधनों में भी बहुतायत वृद्धि हुयी है। वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल एवं डीजल के दहन के फलस्वरूप कई वायु प्रदूषकों की उत्पत्ति होती है यथा कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन एवं सल्फर के आक्साइड, धुंआ, शीशा आदि। एक वाहन द्वारा एक गैलन पेट्रोल के दहन से लगभग 5×20 लाख घनफीट वायु प्रदूषित होती है। विश्व के सभी देशों में वाहनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है और उससे उत्पन्न परिणाम समय समय पर (यथा कोहरा बनना) परिलक्षित हो रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार 33 प्रतिशत वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुंये के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के बड़े शहरों में निर्धारित मानकों से वायु प्रदूषण का स्तर दो-तीन गुना अधिक है।
4. **घरेलू कार्यों सेः** मानव जीवन के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें घरेलू कार्य, उद्योग, कृषि, परिवहन आदि सम्मिलित हैं। घरेलू कार्यों जैसे भोजन पकाना, पानी गर्म करना आदि में कोयला, लकड़ी, उपले, मिट्टी का तेल, गैसें इत्यादि का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। इन जैविक ईंधनों के दहन के फलस्वरूप विभिन्न विषैली गैसों का निर्माण होता है, जो कि वायुमण्डल को प्रदूषित करती हैं। इनसे कार्बन डाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, कार्बनिक कण, धुंआ इत्यादि जैसे प्रदूषक निकलते हैं। आधुनिक घरों में रेफ्रीजरेटर, एअर कण्डीशनरों का प्रयोग एक सामान्य सी बात है। इन विद्युत चालित उपकरणों से निकलने वाली क्लोरो-फ्लोरो कार्बन गैस (सीएफसी) वायुमण्डल में उपस्थित ओजोन परत की विनाश का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है।
5. **ताप विद्युत गृहः** जनसंख्या वृद्धि एवं बढ़ते औद्योगीकरण के अनुपात में बिजली की मांग भी बढ़ी है जिसकी पूर्ति कोयला, प्राकृतिक गैसों, खनिज तेलों, रेडियोधर्मी पदार्थो द्वारा की जाती है। ताप बिजलीघरों में कोयले, तेल एवं गैस का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इनकी चिमनियों से निकलने वाली विभिन्न गैसें, कोयले की राख के कण वायुमण्डलीय प्रदूषण की मुख्य कारक है। 1000 मेगावाट की क्षमता वाले ताप विद्युत गृह को एक वर्ष में दो लाख साठ हजार टन से 104000 टन तक राख निकलती है। भारत में 54 प्रतिशत बिजली का उत्पादन कोयला आधारित विद्युत गृहों (लगभग 80 हजार मेगावाट) से ही होता है।
6. **कृषि कार्यः** देश में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ा है। इसके साथ ही फसलों में विभिन्न कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। इन रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वायुमण्डल में प्रविष्ट होकर शुद्ध वायुमण्डल संघटन को खराब करती हैं।
7. **खननः** खनिज गतिविधि के दौरान विभिन्न विस्फोटकों का प्रयोग होता है जो कि वायु

मण्डलीय प्रदूषण का कारण है। विभिन्न खनिजों के उत्खनन से उत्पन्न महीन कण भी वायुमण्डल को प्रदूषित करते हैं। भूमिगत खदानों से निकलने वाली हानिकारक गैसें भी वायुमण्डल के लिये हानिकारक हैं। नाभिकीय खनिजों के उत्खनन के समय उनसे निकलने वाले विकिरण विभिन्न व्याधियों का कारण है।

8. **रेडियो धर्मिता:** रेडियोधर्मी पदार्थों से अल्फा, वीटा तथा गामा विकिरण अनवरत निकलते रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारियों के लिये अत्यन्त हानिकारक हैं। आणविक विस्फोटों एवं आणविक हथियारों के परीक्षण के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलने वाले विकिरण एवं उष्मा वायुमण्डल को दूषित करती है। परमाणु ऊर्जा संयत्रों में तकनीकी एवं मानवीय त्रुटियों में जब कभी रेडियोधर्मी विकिरण बाहर निकलते हैं तो वे वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।

9. **जानवरों के शवों द्वारा:** भारत में मृत जानवरों की खाल निकालने की परम्परा है। मृत जानवरों को लोग बस्तियों से उठाकर ले जाते हैं तथा खाल निकालकर बचे भाग को खुले में छोड़ देते हैं। जब ये शब झड़ते हैं तो इनसे दुर्गन्ध निकलती है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। इसके अलावा सार्वजनिक और व्यक्तिगत शौचालयों की उचित सफाई नहीं होने से क्षेत्र विशेष के वायु प्रदूषण हो जाता है।

वायु प्रदूषण का प्रभाव

वनस्पतियों पर: मानव के साथ ही वनस्पति भी वायु प्रदूषण से उतनी ही प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव वनस्पति पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अम्लीय वर्षा, घूप कोहरा, सल्फर डाईआक्साइड, फ्लोराइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोआक्साइड इत्यादि पौधों की श्वसन वृद्धि, पुष्पीकरण, फलों का बनना आदि क्रियाओं में बाधक बनते हैं। सल्फर डाईआक्साइड से पादप वृद्धि रुकती है। पत्तियों में पर्णरहित कम होकर हरित हीनता रोग उत्पन्न होता है। परागकणों के अंकुरण में कमी, बीज व फल बनने में बाधक है। नाइट्रोजन आक्साइड से पत्तियों का छोटा होना इत्यादि समस्यायें उत्पन्न होती हैं। फ्लोराइड्स से पत्तियों के किनारों एवं शीर्ष कोशिकाओं की क्षति होती है। परआक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पत्तियों में स्टार्च की मात्रा को कम करता है। सीसा, पारा, कैडमियम जैसे कणीय पदार्थ पौधों में हरितहीनता रोग उत्पन्न करते हैं एवं वृद्धि को रोकते हैं। सीमेंट व कोयले क्षेत्र में कलियों का मृत होना भी एक समस्या है।

मानव स्वास्थ्य पर: वायु प्रदूषण के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक हानिकारक होती है, क्योंकि यह वायुमंडल में जल-वाष्प या वर्षा के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है जो 'तेजाब वर्षा' के रूप में फसलों तथा मानव को अत्यधिक हानि पहुँचाती है। इससे मानव को दमा, खाँसी तथा फेफड़ों की बीमारियाँ अधिक होती है।

औद्योगिक संयंत्रों, वाहनों, घरेलू चूल्हा, मानव के मुख से निकलने वाले सिगरेट के धुँए से कार्बन मोनोऑक्साइड वायु में मिल जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक होती है। इससे मानव को बहुतायत में फेफड़ों का कैंसर, क्षय तथा दमा आदि रोग होते हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि साँस लेने के लिए सभी जीवों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है किन्तु वायु प्रदूषण के कारण पिछले 100 वर्ष में लगभग 24 लाख टन ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से समाप्त हो चुकी है और उसकी जगह 36 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड गैस ले चुकी है जिसके कारण धतरी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण से एक्जीमा, कैंसर, टी.बी. आँखों में सूजन, मुँहासे, दमा आदि बीमारियाँ होती हैं।

धरती के तापमान में वृद्धि: वायुमंडल में कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के आकलन के अनुसार, विगत 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यदि तापमान में वृद्धि की रफ्तार इसी तरह जारी रही तो सन 2050 तक पृथ्वी के तापमान में मात्र 3.6 सेल्सियस की ही वृद्धि हो जाये तो आर्कटिक ओर अंटार्कटिका के विशाल हिमखंड पिघल जायेंगे जिससे समुद्र के जलस्तर में 10 इंच से 5 फुट तक की वृद्धि हो सकती है। इस स्थिति में सभी समुन्द्र तटीय नगर डूब जायेंगे।

वायुमण्डल पर: वायु प्रदूषकों का सर्वाधिक प्रभाव वायुमण्डल पर पड़ता है। विभिन्न जहरीली गैसें, कणीय पदार्थ इत्यादि वायु प्रदूषकों से वायुमण्डल के आदर्श गैसीय संगठन में कई गड़बड़ियां उत्पन्न हो गयीं हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय: वायु प्रदूषण के घातक प्रभावों को देखते हुये विश्व के विकसित देशों में 1950-60 के दशक के बाद से ही तेजी से वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय व विकसित तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। यहां सभी संपर्क क्षेत्रों या नाभिक स्थलीय उद्योगों, विकेन्द्री एवं सम्भावित प्रदूषण क्षेत्रों के निकट अनेक प्रकार के नियंत्रण एवं प्रबंधन संबंधी कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। यहां ऐसे सभी स्थानों एवं भीड़ वाली सड़कों के किनारे प्रदूषण मापन यन्त्र लगाये जा चुके हैं। प्रदूषण की सभी दशाओं में अधिकतम सहनशीलता की सीमा भी व्यापक रूप से निशिचित की जा चुकी है। सभी प्रदूषण पैदा करने वाले कारखानों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबंध हेतु वहां की सरकारों व प्रशासन के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उपकरण व विशिष्ट तकनीक का उपयोग भी किया जाने लगा है।

भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष कार्यवाही 1980 के दशक से ही विचारणीय बनी एवं इस बारे में महानगरों में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही भी की जाने लगी है। 2-3 दिसम्बर 1984 को रात में हुयी भोपाल गैस दुर्घटना के बाद इस ओर विशेष प्रयास किये जाने लगे हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न प्रयास किए जा सकते हैं।

1. सभी महानगरों (10 लाख या अधिक आबादी वाले) के आवासीय क्षेत्रों में पूर्व स्थापित प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तत्काल पूर्व निर्धारित स्थानों में (औद्योगिक बस्तियों में) स्थानान्तरित किया जाना चाहिये।
2. वायुमण्डल में घूल, नमी एवं धुंआ से उत्पन्न होने वाले घूम-कोहरा पर नियंत्रण हेतु अधिक धुंआ उगलने वाली चिमनियों की उंचाई 80-100 मी. कर दी जाये एवं उन पर धुंये से पुन: ठोस उप उत्पादन पैदा करने के संकेन्द्रण संयन्त्र लगाये जायें। दिल्ली, बम्बई एवं अन्य महानगरों में ऐसे प्रयास किये जाने भी लगे हैं।
3. 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में किसी भी स्थिति में 50 किमी. के घेरे में धुंआ उगलने वाले एवं वायुमण्डल में विशेष प्रदूषण पैदा करने वाले सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना पर राष्ट्रीय स्तर पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लागू किया जायें। 10 लाख से 25 लाख जनसंख्या वाले बड़े नगरों में भी ऐसी ही व्यवस्था का यथासम्भव पालन किया जाये।
4. वाहनों से निकलने वाले धुंए को नियंत्रित करना एवं उनसे होने वाले सभी प्रकार के रिसाव को नियंत्रित करना प्रथम आवश्यकता से भी सभी वाहन निश्चित मापदण्ड से कम धुंआ उगलने वाले होने चाहिये अन्यथा उनमें ऊर्जा परिकरण एवं धुंआ नियंत्रण हेतु विशेष सुधार किये जायें। जिन क्षेत्रों में यातायात संग्रन्थियों पर धुंए का प्रतिशत

विशेष बढ़ जायें वहां फौरन वाहनों के प्रभाव को नियंत्रित किया जाये। ऐसे स्थलों को एक दिशा प्रवाह मार्ग घोषित कर, वहां तत्काल सहायक मार्ग विकसित किये जायें।

5. नहर सड़क मार्गो व रेल मार्गो के आसपास हरी पट्टी का अनिवार्यत: विकास किया जाये। पेड़ नियमित रूप से लगाकर उनका पूरा-पूरा रख-रखाव किया जाय और रिकार्ड रखा जाये। भवनों में जहां भी स्थान उपलब्ध हो पेड़ आवश्यक रूप से लगाये जायें।

6. आण्विक इकाइयों से निकलने वाले सभी रेडियोधर्मी पदार्थो को विशेष प्रक्रिया द्वारा ठोस ईंटों में बदलकर पॉलीथीन, एवं विशेष डिब्बों में बन्द कर, दोहरे कवर वाले विशेष डिब्बों में भण्डारित किया जाये। इन्हें सागर तली में डालने से पूर्व सीमेंट की या कंक्रीट की टंकियों में सील कर समुद्र में डाल दिया जाये जिससे कि महासागरीय तलों में भी रेडियोधर्मिता जल्दी नहीं बढ़ सके।

7. रेल में कोयले अथवा डीजल के इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का उपयोग किया जाय।

8. घरों में सौर ऊर्जा चालक कुकर का उपयोग किया जाये।

9. वायु प्रदूषण के संकट के बारे में जनमानस को जागृत किया जाना चाहिए। छात्रों के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही पर्यावरण प्रदूषण को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की ओर से 5 जून को मनाये जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस पर रेडियो, दूरदर्शन तथा अखबारों द्वारा प्रचार करके, कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

बोस्टन स्थित हेल्थ इफेक्ट्स इस्टीट्यूट (एचईआई) की सालाना वैश्विक वायु रिपोर्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूर विश्व को एक आईना दिखा रहा है। वायु प्रदूषण पर यदि जल्द से जल्द कार्य नहीं किया गया तो यह भयावह रूप धारण कर लेगा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पूरे विश्व को एक नीति के तहत कार्य करना होगा और प्रकृति द्वारा दिए गए स्रोत को बचाए रखना होगा।

यद्यपि कि वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए भारत द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें उज्वला योजना महत्वपूर्ण है। साथ ही सौर ऊर्जा पर भी तेज गति से कार्य हो रहा है। इसके अलावा भी वायु प्रदूषण से बचने के लिए भारत को कई क्षेत्रों में कार्य करना होगा जिससे कि इस भयावह होती समस्या पर विजय प्राप्त किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

5. रेड कॉरिडोर का पुनर्निर्धारण

चर्चा का कारण

गृह मंत्रालय ने नक्सली समस्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में नक्सली समस्या से निपटने में सुरक्षा बलों ने सफलता प्राप्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के 44 नक्सल प्रभावित जिले नक्सली समस्या से मुक्त हो गए हैं तथा वहां पर नक्सल पूर्णत: खत्म हो गया है।

मंत्रालय द्वारा जारी आकड़ों में कहा गया है कि उसकी नीतियों और सेना की कुशलता के कारण 11 राज्यों के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की संख्या 126 से घटकर 90 रह गई है। इसके अलावा अत्यधिक प्रभावित जिलों की संख्या भी 36 से कम होकर 30 हो गई है।

पृष्ठभूमि

नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलबाड़ी से हुई है जहाँ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 मे सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की।

मजूमदार चीन के कम्यूनिस्ट नेता माओत्से तुंग के बहुत बड़े प्रशंसकों में से थे और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से उच्च वर्गो का शासन तंत्र और फलस्वरुप कृषितंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया है। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांति से ही समाप्त किया जा सकता है।

1967 में "नक्सलवादियों" ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बना था। इन विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पर स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया और सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी।

1971 के आंतरिक विद्रोह जिसके अगुआ सत्यनारायण और मजूमदार थे, की मृत्यु के बाद यह आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त होकर कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। आज कई नक्सली संगठन हिंसा का मार्ग त्यागकर वैधानिक रूप से स्वीकृत राजनीतिक पार्टी बन गये हैं और संसदीय चुनावों में भाग भी लेते हैं लेकिन बहुत से संगठन अब भी छद्म लड़ाई में लगे हुए हैं। नक्सलवाद के विचारधारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आँध्रप्रदेश, छत्तीसगढ, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को झेलनी पड़ रही है।

प्रमुख तथ्य

सरकार का कहना है कि उसने देश में नक्सल समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2015 में एक नयी 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' शुरू की थी। इस बहुस्तरीय रणनीति में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी उपायों के साथ-साथ विकास परियोजनाओं पर पूरा ज़ोर दिया गया है। सरकार के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से भी नक्सली हिंसा के क्षेत्र में कमी आयी है और जहां 2013 में यह 76 जिलों में फैला था वहीं 2017 में यह केवल 58 जिलों तक सिमट कर रह गया है।

इनमें से भी केवल 30 जिले ऐसे हैं जहां देश में नक्सली हिंसा सबसे अधिक है। इसी दौरान कुछ नये जिलों का भी पता चला है जिनमें नक्सली अपने पैर जमा रहे हैं। सबसे ज्याद अंतर पश्चिम बंगाल में सामने आया है जहां केवल एक जिले झाड़ग्राम में ही नक्सलियों का प्रभाव ज्यादा है जबकि पहले राज्य के चार जिले इस समस्या से प्रभावित थे। गृह मंत्रालय ने पहले नक्सल समस्या से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय राशि देने की योजना बनायी थी। इसके आधार पर 44 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से निकाल दिया गया जबकि 8 नये जिलों को इसमें जोड़ दिया गया।

निकाले गये जिलों में तेलंगाना के 19, ओडिशा और बिहार के 6-6, पश्चिम बंगाल के 4, आन्ध्र और छत्तीसगढ के 3-3, झारखंड के 2 और महाराष्ट्र का एक जिला शामिल है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राईजंक्शन क्षेत्र में माओवादियों के बढते प्रभाव से निपटने के लिए केरल के तीन जिलों को इस सूची में शामिल किया गया है। संक्षेप मे कहें तो बर्बरता और नरसंहार की दृष्टि से नक्सलवाद मुख्य धारा के आतंकवाद की तरह ही है, पर ये बर्बरता और घात लगाकर बढ़ते हमले नक्सलियों की बौखलाहट का परिणाम हैं क्योंकि विकास से वंचित आदिवासी अब मुख्य धारा से जुड़ने को आतुर हैं। नक्सलियों को अब स्थानीय सहयोग मिलना काफी कम हो गया है और आर्थिक नाकेबंदी के साथ-साथ सुरक्षाबलों की अंदर तक मौजूदगी से अब नक्सली अपने अस्थित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं।

सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

इस समस्या से निपटने के क्रम में केंद्र सरकार ने रेड कॉरिडोर का पुनर्निर्धारण किया था। इसके तहत नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या को लगभग इसके पाँचवें भाग तक कम करने का निर्णय लिया गया था। इनकी संख्या में कमी करने के पीछे सरकार का कहना था कि इन जिलों में हिंसा में कमी आई है। सरकार नक्सली चरमपंथ से निबटने के लिये बहुआयामी रणनीति से काम ले रही है। इसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास से संबंधित उपाय तथा आदिवासी एवं अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने से संबंधित उपाय शामिल हैं। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप नक्सलियों के हौसले कमजोर हुए हैं तथा उनके कैडर के द्वारा आत्मसमर्पण करने की संख्या लगातार बढ़ रही है।

कुछेक बड़ी घटनाओं के बावजूद 2011 के बाद से माओवादी हिंसा की घटनाओं में निरंतर गिरावट देखने में आ रही है। पिछले वर्ष किये गए विमुद्रीकरण ने भी नक्सलियों को पहुँचने वाली वित्तीय सहायता पर लगाम लगाई है और इसके बाद से लगभग 700 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है।

सरकार माओवादी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बनाने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। 2022 तक 48877 किमी. सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। माओवादी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में संचार सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये सरकार बड़ी संख्या में मोबाइल टॉवर लगाने का काम कर रही है। इसके तहत कुल 4072 टॉवर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार माओवादी चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा और डिजिटल संपर्कता का यथासंभव विस्तार करने के प्रयास कर रही है।

नक्सलवाद के कारण

प्रत्येक समस्या की उत्पति, उनके प्रश्रय के पीछे कुछ अहम कारण जुड़े होते हैं। यदि हम बात करे नक्सलवाद की तो इसकी शुरुआत, इस समस्या के बढ़ने और आज विकृत रूप धारण कर लेने के पीछे कोई एक मुख्य वजह न होकर कई कारण जुड़े हुए हैं, जिनमे से कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-

- आज हमारा राष्ट्र मंगल ग्रह पर उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। साथ ही कई क्षेत्रों में अग्रणी राष्ट्र होने के कारण विकसित राष्ट्रों की सूची में आने की बाते कही जा रही है मगर कई दूर-दराज आदिवासी बहुल इलाके आज भी प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। इस कारण अशिक्षित लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर नक्सलवाद से जुड़ जाते हैं।
- भारतीय मूल की जातियों में आदिवासी जनजाति गिनी जाती हैं जिनके जीवन का आधार जंगल ही था। वनों के निरंतर ह्रास के कारण इनके सामने रोजीरोटी की समस्या आन पड़ी हैं।
- कई सामजिक बुराई यथा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और कुपोषण के कारण भी नक्सलवाद को इन पिछड़े इलाकों में बढ़ावा मिला है।
- भारत की आजादी के पश्चात किसी भी सरकार ने आदिवासी, दलित हितो के बारे में कोई विशेष ध्यान नही दिया। यदि कुछ योजनाएँ बनाई भी गई तो इनके समुचित क्रियान्वयन ना होने के कारण असली हकदार लोगों तक इनका फायदा नही पहुच पाया।
- नक्सलवाद की शुरुआत का मूल कारण स्थानीय जमीदारों के अत्याचार और भूमि अधिग्रहण भी अहम विषय था जिसके कारण लोग बेरोजगार होते चले गये और नक्सलवाद की तरफ उनका रुझान बढ़ता गया।
- भारत की आंतरिक व्यवस्था और संतुलन को चुनौती देने के लिए विदेशी राष्ट्रों द्वारा नक्सलवाद को सहयोग प्रदान करना भी इसके विस्तार का एक कारण है।

केंद्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को अधिकांश रूप से कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का यह कहना रहा है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है और जमीन के अधिकार तथा संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, न रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों को चलने ही नहीं देते और सरकारी तंत्र उनसे आतंकित रहता है। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने और उनके अधिकार न मिलने पर हथियार उठा लेते हैं। इससे वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच एक अवांछनीय गठबंधन स्थापित कर दिया है।

जानकार यह मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है।

नक्सलवाद की समस्या का समाधान

पिछले वर्ष नक्सल समस्या से निपटने के लिये केंद्र सरकर ने आठ सूत्रीय 'समाधान' नामक एक कार्ययोजना की शुरुआत की थी निःसंदेह पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने जो नई रणनीति बनाई है, उसके बाद से नक्सलवाद के विस्तार पर अंकुश लगा है और नक्सली हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है। इन सबके बावजूद वैचारिक मजबूती और संगठन की एकता द्वारा इसके पुनः मजबूत होकर उभरने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

ऐसे में नक्सलियों से निपटने के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। इसके लिये सुरक्षा बलों को स्वतंत्र रणनीति बनाने की छूट देनी चाहिए और सरकार को उन्हें पूरे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। नक्सल मुक्त क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा से संबंधित विकास कार्यों की परियोजनाएँ चलाई जानी चाहिए और आदिवासियों की विशिष्ट पहचान को अक्षुण्ण रख उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिये जनजातीय तथा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पाँचवीं अनुसूची तथा पेसा कानून ईमानदारी के साथ लागू करके आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार संविधान की सीमाओं के अंतर्गत देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। नक्सलियों से लड़ने के लिये प्रदेशों की पुलिस क्षमता का विकास करना तो आवश्यक है ही, इसके साथ ही वंचित समाज के बीच यह संदेश भी जाना चाहिए कि सरकारें उनकी हितैषी हैं।

नक्सल प्रभावित हर जिले को केंद्र और राज्य सरकार इतना पैसा देती है कि अगर उसे सही तरीके से खर्च किया जाए तो जिलों की तस्वीर बदल जाए, लेकिन इसके बावजूद शौचालय और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का तो अभाव है ही, अस्पताल जाने के लिये भी वहाँ लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस पैसे में से एक बड़ा हिस्सा नक्सलियों को भी जाता है। भुखमरी, गरीबी तथा अशिक्षा के कारण पिछड़े इलाकों में लोग थोड़े से धन के प्रलोभन में आकर हिंसा जैसे अपराध को करने को तैयार हो जाते हैं।

आज के समय में नक्सलवाद घरेलू आतंकवाद का रूप ले चूका हैं। समय रहते यदि इस स्थति से निपटा नही गया, तो दूर भविष्य में इसके विस्फोटक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सरकारी व्यवस्था को भी चाहिए कि सदियों से पीड़ित और विकास के प्राथमिक मापदंडो से दूर रह रहे दलित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार की उपलब्धता के साथ साथ सरकारी योजनाओं से यहाँ के आमजन के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये।

निष्कर्ष

माओवादी हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार करने के साथ ही इस पर नियंत्रण के लिये स्थायी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों के संरक्षण के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाने के साथ ही शांति योजनाएँ चलाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की भी है कि आम आदमी को इस बारे में शिक्षित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में उन्हें शामिल किया जाए। इस समस्या को लेकर सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को मिलकर एक सुदृढ़ रणनीति बनानी चाहिए, ताकि व्यापक तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके तभी हम नक्सलवाद की समस्या से निजात पा सकते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध।

आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

6. राष्ट्रमंडल सम्मेलन–2018

चर्चा का कारण

हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने राष्ट्रमंडल के कोष में भारत का तकनीकी सहयोग दोगुना करने की घोषणा करते हुए इसे 20 लाख पौंड (18 करोड़ रुपये से अधिक) कर दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल सम्मेलन में क्रिकेट कूटनीति पर भी जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों के 60 अंडर-16 क्रिकेटर्स को प्रशिक्षण देने की भी बात कही। इन 60 क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की मदद से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय की सचिव रुचि घनश्याम ने बताया कि राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल के छोटे द्विपीय देशों को उनकी जरूरत के अनुरूप सहायता देने का भी एलान किया। भारत इन छोटे द्विपीय देशों और तटीय देशों को गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए क्षमतावान बनाएगा।

श्री मोदी ने यह भी ऐलान किया कि न्यूयार्क के स्थाई मिशन के तौर पर भारत राष्ट्रमंडल देशों की मदद के लिए छोटी परियोजनाओं में भी हिस्सा लेगा। उन्होंने बताया कि विगत दिवस हुई बैठक में लोकतंत्र को और मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), पर्यावरण के लिए कार्रवाई और राष्ट्रमंडल देशों की सुरक्षा के मुद्दों पर मुख्य रूप से बातचीत हुई। यहां दुनिया के 53 देशों के इस समूह की 11वीं शिखर बैठक में इस बार का विषय 'साझा विकास' को रखा गया है। वहीं बीते साल 2010 के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री चोगम की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन पहली बार विंडसर कैसल में हो रहा है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रकुल या राष्ट्रमण्डल देश 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसके लगभग सभी सदस्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना 1931में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ।

राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल देशों का कोई संविधान या चार्टर नहीं है। इसके प्रमुखों की प्रत्येक दो वर्ष में एक बार बैठक होती है। भारत सहित एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, साइप्रस, घाना आदि इसके सदस्य हैं। लंदन घोषणा के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल देशों के समूह की प्रमुख होती हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय की स्थापना 1965 में हुई थी। इसके महासचिव मुख्य कार्यकारी के तौर पर काम करते हैं।

COMMONWEALTH
HEADS OF GOVERNMENT MEETING
LONDON 2018

बीसवीं सदी के शुरू होते ही राष्ट्रमंडल ने अपना रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। 1926 के साम्राज्यवादी सम्मेलन ने बेलफॉर (Balfour) फार्मूला अपनाया, जिसने स्वतंत्र उपनिवेशों तथा ब्रिटेन के बीच संबंधों को मजबूत किया। यद्यपि राष्ट्रमण्डल देश राजमुकुट (Crown) के प्रति सामूहिक निष्ठा से बंधे हुये थे, लेकिन वेस्टमिन्सटर संविधि (1931 का एक ब्रिटिश कानून) ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल पर 1926 की घोषणा को कानूनी रूप दे दिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप अफ्रीका, एशिया और पश्चिमी गोलार्द्ध के अनेक देश ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गये। भारतीय उप-महाद्वीप के देश सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले और राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने वाले देशों में थे। भारत और पाकिस्तान 1947 में राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, जबकि श्रीलंका (तत्कालीन सिलोन) 1948 में। 1949 में एक नई पद्धति की शुरूआत हुई जब भारत को स्वयं की गणतंत्र घोषित करने तथा साथ ही राष्ट्रमंडल का पूर्ण सदस्य बने रहने की अनुमति दी गई। राजा को स्वतंत्र सदस्य देशों के स्वतंत्र संघ के प्रतीक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस प्रकार साझा राजमुकुट के प्रति निष्ठा की अनिवार्यता को समाप्त घोषित कर दिया गया। एक राष्ट्रमंडल देश का दूसरे राष्ट्रमंडल देश में प्रतिनिधित्व उच्चायुक्त के द्वारा होता है, जबकि गैर-राष्ट्रमंडल देश में उसका प्रतिनिधित्व राजदूत के द्वारा होता है। कई ऐसे क्षेत्र, जो पहले ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आते थे, राष्ट्रमंडल में सम्मिलित नहीं हुए। इनमें मिस्र, इराक, म्यांमार, फिलीस्तीन, जॉर्डन, सूडान, ब्रिटिश सोमालीलैंड, दक्षिणी कैमरून तथा अदन (अब यमन का हिस्सा) प्रमुख हैं। मोजाम्बिक 1995 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। यह राष्ट्रमंडल का पहला ऐसा सदस्य बना, जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा था। मोजाम्बिक पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। तुवालु एक विशिष्ट सदस्य है। इसे सभी गतिविधियों और कार्यात्मक बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसे राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है।

संरचना

राष्ट्रमंडल सबसे कम संस्थागत स्वरूप वाले अंतर-सरकारी संगठनों में से एक है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (Commonwealth Heads of Government Meeting— CHOGM) और सचिवालय राष्ट्रमंडल के प्रमुख अंग हैं। शासनाध्यक्षों की द्वि-वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें सामूहिक हित के विषयों पर चर्चाएं होती हैं तथा संगठन की गतिविधियों के मौलिक दिशा-निर्देशों का निर्धारण होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद चोगम विश्व का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी सम्मेलन है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक मामलों, रक्षा, वित्त, शिक्षा, कानून, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आदि विषयों पर सदस्य देशों के वरिष्ठ मंत्रियों के मध्य विशेष परामर्श होते हैं।

1965 में चोगम ने राष्ट्रमंडल सचिवालय के रूप में एक स्थायी मशीनरी का गठन किया। सचिवालय संयुक्त परामर्श और सहयोग के लिये एक केंद्रीय संगठन का कार्य करता है। यह बैठकें और सम्मलेन आयोजित करता है; सामूहिक निर्णयों का क्रियान्वयन करता है; विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा सामूहिक हित के विषयों से संबंधित सूचनाएं प्रसारित करता है। सचिवालय के अंदर राष्ट्रमंडल तकनीकी सहयोग कोष (सीएफटीसी) का गठन किया गया है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, विशेषकर कम विकसित देशों को बहुपक्षीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस कोष का वित्त पोषण सभी राष्ट्रमंडल देशों के द्वारा स्वैच्छिक आधार पर होता है। सचिवालय औद्योगिक विकास इकाई, महिला एवं विकास सलाहकार तथा राष्ट्रमंडल सहभागिता कोष का भी प्रबंधन करता है।

उद्देश्य

राष्ट्रमंडल के उद्देश्यों और अन्य पक्षों के निर्धारण के लिये कोई औपचारिक संविधान, घोषणा-पत्र या संधि की व्यवस्था नहीं है। इनकी अभिव्यक्ति परामर्श, सहयोग और पारस्परिक सहायता के माध्यम से होती है। राष्ट्रमंडल के आदेशों और सिद्धांतों का निर्धारण सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं।

घनिष्ठता की भावना की सतत अनुभूति को अभिव्यक्त करना तथा पूर्व में या वर्तमान में ब्रिटिश राजमुकुट के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने वाले सदस्यों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना संगठन के मुख्य उद्देश्य हैं।

राष्ट्रमंडल की आवश्यकता क्यों

2009 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। माल्टा में हुई पिछली बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो सके थे।

इस बार ब्रिटेन बैठक की मेजबानी कर रहा है। ब्रिटेन इस बार माल्टा से राष्ट्रमंडल के चेयर-इन-ऑफिस का पदभार ग्रहण करेगा। बैठक में 50 देशों के मुखिया हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य राष्ट्र उसके समक्ष अवसरों और चुनौतियों, लोकतंत्र और शांति तथा समृद्धि को आगे बढ़ाने के बारे में साझा रूख तय करेंगे। बैठक के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, छोटे द्वीपीय देशों पर मंडराते खतरे प्रमुख हैं। इसके अलावा शांति स्थापना और बेहद गरीब देशों को मदद भी एजेंडे में है। इस दौरान विभिन्न देशों से कई अहम द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन की अहमियत के बारे में पीएम ने फेसबुक पर लिखा- राष्ट्रमंडल एक बहुआयामी समूह है जो छोटे देशों तथा छोटे द्वीपीय देशों सहित विकासशील सदस्य देशों को उपयोगी सहायता प्रदान करता है। विकास के मामलों में यह मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।

- राष्ट्रमंडल में शामिल देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी ने भारत के लिए एक नई रणनीतिक साझेदारी का अवसर पैदा किया है। ब्रिटेन में आयोजित हो रही यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह कि ब्रेग्ज़िट (ब्रिटेन के यूरोपीय संघ या ईयू से अलग होने की घटना) के बाद 53 देशों के इस संगठन को नई तरह से देखा जा रहा है।
- हालांकि यह संगठन ईयू की जगह नहीं ले सकता इसके बावजूद यह अलग-अलग महाद्वीपों में फैले इन 50 से ज्यादा देशों और करीब सवा दो अरब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक मंच के रूप में तो ढाला ही जा सकता है।
- साथ ही यह इस विशालकाय आबादी के लिए नए प्रयोगों का एक अहम मंच भी बन सकता है।
- दरअसल इस संगठन में चीन का न होना भी इसे खास बना देता है। आज भारत का यह पड़ोसी अलग-अलग वैश्विक संगठनों में दबदबे वाली भूमिका में है और साथ ही वह कई देशों में बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं में हिस्सेदारी करके वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में कई देश हैं जो चीन की इस बढ़ती ताकत को संतुलित करना चाहते हैं।
- चीन के आर्थिक सहयोग का जो मॉडल है, उसके चलते कई देश कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में राष्ट्रमंडल समानता पर आधारित आर्थिक सहयोग का एक नया मॉडल पेश करके चीन का विकल्प बन सकता है।
- ब्रिटेन के लिए राष्ट्रमंडल ब्रेग्जिट के बाद एक विकल्प है तो भारत के भी इससे आर्थिक और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। यानी इन दोनों के हित इस संगठन की मजबूती में एक साथ आ जाते हैं।
- राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों में एक दूसरे के यहां निवेश के मामले में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मिला है। साथ ही 53 देशों के इस संगठन में ब्रिटेन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक निवेश आर्किषत करने वाला देश है।

''राष्ट्रमंडल व्यापार समीक्षा 2018-राष्ट्रमंडल के लाभों का मजबूतीकरण'' को राष्ट्रमंडल सचिवालय ने तैयार किया है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राष्ट्रमंडल के भीतर सेवाओं के व्यापार में भारत पांच सबसे शीर्ष देशों में से एक है। इस मामले में उसने कनाडा को पछाड़ दिया है। इसके अलावा इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 से 2016 के बीच राष्ट्रमंडल देशों से एफडीआई पाने वाला भारत शीर्ष देश रहा। यह निवेश एकदम नए सिरे से किया जाने वाला निवेश है। इतना ही नहीं यह राष्ट्रमंडल देशों के अलावा दुनिया के अन्य देशों से भी सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला देश रहा है। वर्ष 2015 में यह चीन को पछाड़कर नए सिरे एफडीआई पाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। नए सिरे से किए जाने वाले एफडीआई से तात्पर्य ऐसे निवेश से है जहां कोई कंपनी या सरकार किसी देश में नई सुविधाओं का निर्माण करके नए उपक्रम की स्थापना करती है।

- अपनी आबादी और आर्थिक बूते की बदौलत भारत राष्ट्रमंडल के दिग्गज देशों में शामिल है जो कुछ समय बाद अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
- मेजबान ब्रिटेन के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी इस समूह के दिग्गजों में शामिल हैं। वर्ष 2018 में आयोजित हो रहे सीएचओजीएम का विषय है 'एक साझा भविष्य की ओर।
- उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में जुटे नेता सामाजिक-आर्थिक विकास, मानव सुरक्षा और लैंगिक चुनौतियों से जुड़े उन तमाम वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिनसे दुनिया इस वक्त जूझ रही है।

आगे की राह

- इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया का भविष्य कई मायनों में अनिश्चित है और परमाणु हथियारों से लेकर ग्लोबल वार्मिग, विभिन्न बीमारियों और आतंकवाद से लेकर ऐसी चुनौतियों की अंतहीन सूची है, जिनसे दुनिया के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी मौजूदा परिस्थिति में राष्ट्रमंडल इन समस्याओं को हल करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है।
- राष्ट्रमंडल की औपनिवेशिक पहचान हटानी होगी और इसे ऐसे देशों के समूह में बदलना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या जलवायु परिवर्तन जैसी आज की चुनौतियों पर सक्रिय भूमिका निभा सके।
- राष्ट्रमंडल के इस स्वरूप में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली लंबे अरसे से इस संगठन में सक्रिय साझेदारी को लेकर हिचक दिखाती रही है, लेकिन आज बहुध्रुवीय दुनिया में राष्ट्रमंडल को एक अहम संगठन बनाने के लिए उसे आगे बढ़कर काम करना चाहिए।
- यही वह क्षेत्र है जहां भारत और दूसरे देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को आगे आना चाहिए और आपसी कारोबार को बढ़ाते हुए राष्ट्रमंडल देशों के बीच निवेश के मौके बनाने चाहिए।
- यह भी एक वजह है कि अब राष्ट्रमंडल देशों को मानवाधिकार और लोकतंत्र के मुद्दे पर अपनी आदर्शवादी और पुरानी सोच से थोड़ी छूट देनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ देशों का चीन की तरफ झुकाव हो सकता है।
- कुल मिलाकर राष्ट्रमंडल को एक नैतिक विचारधारा पर आधारित संगठन बनने के बजाय खुद को एक रणनीतिक ताकत की तरह से देखना शुरू करना चाहिए।
- इस लिहाज से राष्ट्रमंडल की विरासत इन देशों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया बननी चाहिए। तकरीबन एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था और भाषाई समानता (अंग्रेजी) इन देशों के लिए व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक प्रशासन के मुद्दे पर आम राय बनाने की दिशा में मददगार साबित होनी चाहिए।
- आने वाले सालों में भारत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पैमाने पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और इसीलिए राष्ट्रमंडल के भीतर सभी मुद्दों पर बातचीत में भारत की सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

7. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य

सन्दर्भ

महिलाएं देश की आबादी का आधा हिस्सा हैं तो राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है? इस सवाल का जवाब हमारे किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। विडंबना यह है कि आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वाकई यह स्थिति चिंताजनक है। महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में आगे आकर अपनी क्षमता साबित कर रही हैं लेकिन राजनीति में आज भी उनका प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है ऐसे में लगता है सभी पार्टियां बस उन्हें अपने सीनियर नेताओं को फूलमाला पहनाने, गुलदस्ता भेंट करने, और नारे लगाने आदि तक ही सीमित रखना चाहतीं हैं। शायद वे उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहतीं। गौरतलब है कि वर्तमान समय में संसद में महिलाओं की भागीदारी करीब 12 प्रतिशत है, वहीं देश की विभिन्न विधानसभाओं में उनकी हिस्सेदारी करीब 9 प्रतिशत है जो की बहुत ही कम है। इस कमी को दूर करने के लिए लगभग 22 वर्षों से महिला आरक्षण विधेयक को पास करने की कोशिश की जाती रही पर यह कभी पास नहीं हो सका।

पृष्ठभूमि

1952 में जब देश की आबादी आज से एक तिहाई से भी कम थी तब 22 महिलाएं लोकसभा चुनाव जीती थीं। आज जनसंख्या का आंकड़ा सवा अरब पार कर गया है फिर भी वर्तमान (16वीं) लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व महज 12 प्रतिशत (65) है जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है। वर्ष 1974 के दौरान संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में पहली बार उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया और 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं। महिला आरक्षण बिल संसद में सबसे पहले 1996 में पेश हुआ था और यह पीएम एच डी देवगौड़ा की सरकार में लाया गया था लेकिन यह पास नहीं हो सका। हालाँकि 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया पर लोकसभा में कभी भी इस बिल पर वोटिंग नहीं हुई। जब 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकाय में एक तिहाई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई तब इसके साथ ही .संविधान के 73वें एवं 74 वें संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

24 अप्रैल 1994 से देश भर की पंचायतों के लिए यह नियम लागू हो गया। हालांकि कुछ राज्यों ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपने यहां 33 प्रतिशत से ज्यादा महिला आरक्षण की व्यवस्था की जैसे कि बिहार में 50 प्रतिशत, आसाम में 50 प्रतिशत, कर्नाटक में 43 प्रतिशत, केरल में 39 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37 प्रतिशत है। अत: यह भारत सरकार के इस प्रयास का ही नतीजा है कि आज देश भर में कुल 10 लाख से ज्यादा महिलाएँ पंचायतों में हैं और लगभग 40 प्रतिशत पंचायतों पर महिलाओं का कब्जा है।

अन्य देशों में महिला हिस्सेदारी

भारत के संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति कितनी कमजोर है इसका पता दुनिया भर की संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन के ताजा अध्ययन से चलता है। रिपोर्ट के अनुसार यूरोप, अमेरिका और दुनिया के अन्य विकसित देशों की संसदों में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या के मुकाबले हम कहीं नहीं ठहरते। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हमसे कहीं आगे हैं। सब-सहारा के कुछ अति पिछड़े देशों की संसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से ज्यादा है।

विश्वभर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वें स्थान पर है, जबकि नेपाल 35वें, अफगानिस्तान 39वें, चीन 53वें, पाकिस्तान 64वें, इंग्लैंड 56वें, अमेरिका 72वें स्थान पर हैं। बांग्लादेश में हर पांच में से एक सांसद महिला है। यहां तक कि सीरिया, रवांडा, नाइजीरिया और सोमालिया आदि की संसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से ज्यादा है।

महिला आरक्षण की मांग क्यों उठी

महिला आरक्षण की मांग इसलिए शुरू हुई क्योंकि संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक मिला हुआ है। संविधान महिलाओं को समान अधिकार के साथ-साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार महिलाओं को समानता का अधिकार, अनुच्छेद 39-क में समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन और अनुच्छेद 51-क महिलाओं के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली परंपराओं को खत्म करने की बात करता है। इन सब के बाबजूद भारत में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा ठीक नहीं है। हाल ही के कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो भारत की 74% साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर 64% है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी 42% है, जबकि विकसित देशों में यह 100% पहुँच रही है। कामकाज में भारतीय महिलाओं की भागीदारी मात्र 28% है, जबकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी यह 45% है। लोकसभा के लिए चुनी गई महिलाओं का प्रतिशत 12 है, जबकि वैश्विक औसत 23% है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से पता चलता है कि 142 देशों की सूची में भारत 114वें स्थान पर है इसलिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर देन की बहुत जरूरत है।

लगभग 25 वर्षों से भारत की प्रत्येक सरकार ने संसद एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने का प्रयत्न किया है। भारत में आरक्षण का मुद्दा राजनीति का विवादास्पद हिस्सा रहा है। चूँकि आरक्षण का लाभ लेने वाले अनेक समूहों में महिलाओं का स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देना भारत के लिए अनेक प्रकार से हितकारी सिद्ध होगा।

विधेयक का विरोध क्यों

जो लोग महिला आरक्षण विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध कर रहे हैं, वे भी कह रहे हैं कि राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े लेकिन उनकी चिंता इस विधेयक के सामाजिक असर को लेकर है। मौजूदा विधेयक का विरोध करने वालों का तर्क है कि इसमें पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। मौजूदा विधेयक का विरोध करने वाले चाहते हैं कि यही प्रावधान यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए भी हो। दरअसल भारतीय समाज कई

स्तरों में विभाजित है। लिंगभेद यहां का अकेला विभाजन नहीं है। भारत में सभी औरतें समान नहीं हैं। मिसाल के तौर पर एक हिंदू सवर्ण शहरी महिला स्त्री होने का भेद तो झेलती है, पर उन भेदभावों को नहीं झेलती, जो एक दलित या ओबीसी या ग्रामीण महिला झेलती है। निचली जातियों की महिलाएं एक साथ पुरुष सत्ता और जाति का बोझ झेलती हैं। ग्रामीण या कम पढ़ी-लिखी या गरीब महिलाओं के मामले में यह बोझ कई गुना बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में दलित महिलाएं सवर्ण महिलाओं से 14 साल पहले ही मर जाती हैं। यदि जनगणना के जरिये ओबीसी के आंकड़े जुटाए जाएं, तो ऐसे ही परिणाम आ सकते हैं। मुमकिन है कि ओबीसी की स्थिति दलितों से थोड़ी कम भयावह हो। अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति भी बुरी है।

ऐसी आशंका है कि इन विभाजनों का ख्याल रखे बगैर यदि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाता है तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ज्यादातर शहरी सवर्ण अमीर महिलाएं आ जाएंगी क्योंकि निचली और मध्य वर्गीय जाति की महिलाएं अभी उस स्तर पर नहीं पहुंची हैं कि शहरी सवर्ण महिलाओं के मुकाबले में जीत पाएं। एक आशंका यह भी है कि महिला आरक्षण से लोकसभा और विधानसभाओं का सामाजिक चरित्र बदल जाएगा। 1990 के बाद से भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों के उदय के बाद लोकसभा और विधानसभाएं ज्यादा समावेशी बनी हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र में विविधता आई है। कुछ लोगों को आशंका है कि महिला आरक्षण विधेयक का मौजूदास्वरूप इस बदलाव को खारिज कर देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में सवर्ण वर्चस्व कायम हो जाएगा।

भारत की राजनीति में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी

लोकसभा में कुल 545 सांसद हैं। इनमें सिर्फ 66 ही महिला सांसद हैं। राज्यसभा की बात करें तो यहां कुल 245 सांसद हैं जिनमें सिर्फ 23 महिला सांसद हैं। मोदी सरकार के 76 मंत्रियों में से सिर्फ 9 महिलाएं मंत्री हैं। देश भर के राज्यों में सें सिर्फ 3 राज्यों की सीएम महिला हैं। देश में कुल एक लाख 6 हजार महिला सरपंच हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागालैंड में अभी तक कोई महिला विधायक नहीं चुनी गई है। अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो लोकसभा की 543 में से 179 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राज्य विधानसभाओं की 4120 सीटों में से 1360 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राजनीति में महिला भागीदारी की चुनौतियाँ

किसी भी लोकतंत्र के सही संचालन के लिए सबसे जरूरी है सभी वर्गो और समूहों का संतुलित प्रतिनिधित्व लेकिन दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत में भी जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता हैं, महिलाओं की नियुक्ति, निर्णय लेने वाले ऊंचे पदों में कम ही होती है फिर चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी लगभग सभी क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पुरुष ही दिखाई देंगे।

इसके पीछे के कारणों में सबसे ऊपर है रूढ़िवादी और पुरुष प्रधान सोच, जो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। और अगर महिलाएं तमाम बंधनों को लांघ कर आगे बढ़ भी जाती हैं तो गहरी पितृसत्तामक सोच रखने वाले लोग महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज कर प्रभावशील पदों पर आने ही नहीं देते और नीति निर्धारण की प्रक्रिया से दूर रखते हैं। इसके अलावा शिक्षा की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। देश के कई हिस्सों में लड़कियों की स्कूली शिक्षा ही नहीं पूरी हो पाती तो उच्च शिक्षा तो दूर की बात है। तीसरा, महिलाओं पर घर की जिम्मेदारियों का इतना भार लाद दिया जाता है की वे कुछ और करने का या आर्थिक आत्मनिर्भर होने का सोच ही न पाएं। ऐसे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ना होना और जेंडर गैप बढ़ना स्वाभाविक बात है। भारत की राजनीतिक पार्टियाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की चाहे जितनी वकालत करें उनकी कथनी और करनी में फर्क बरकरार है। महिलाओं के सशक्तीकरण तथा बराबरी की बात करने वाले दलों की असलियत टिकट वितरण के समय सामने आ जाती है।

यह भी देखने में आता है कि प्रमुख महिला प्रत्याशी के खिलाफ अकसर महिला को ही मैदान में उतारते हैं। ऐसे में एक ही महिला चुनाव जीत पाती है। इस तरह बहुत सी प्रतिभावान महिलाएं संसद या विधानसभाओं में पहुंचने से वंचित रह जाती हैं। जिन्हें टिकट मिलता है, वे भी ज्यादातर राजनीतिक पारिवारों से आती हैं। उनके पीछे पिता या पति का हाथ होता है। टिकट बांटते समय हर दल उस प्रत्याशी की जीत की संभावना टटोलता है।

समाधान

यह सच है कि केवल राजनीति में आरक्षण के दम पर भारत में लैंगिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है और इसके लिए उनका कामकाजी होना जरूरी है। दूसरे, सरकार की बेटी बचाओ योजना या व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं का पायलट, ऑटो रिक्शा या बस ड्रायवर, खेल-प्रतिभा या उत्कृष्ट व्यवसायी बन जाने से समाज के दृष्टिकोण में एकाएक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसमें लंबा समय लगता है। बावजूद इसके, स्थानीय स्तर की राजनीति में महिलाओं को दिए गए आरक्षण का समाज में परिवर्तन लाने में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई महिला प्रधान या सरपंच बनकर ऐसा कर रही हैं।

महिलाओं के प्रति इस भेदभाव को दूर करने लिए आवश्यकता है सकारात्मक कदम उठाने की। कई स्तरों पर काम करना होगा। राजनीतिक स्तर पर सबसे पहले ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी जो महिलाओं को सत्ता और फैसले लेने की प्रक्रिया से जोड़ सके। जैसे की महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आरक्षण। पंचायत स्तर पर, महिलाओं के लिए कोटा लागू होने से सकारात्मक बदलाव आएं हैं। कई पंचायतों के काम करने के तरीकों में फर्क पड़ा है। महिला नेतृत्व वाली पंचायतें, घर, स्कूल, सेहत और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलतापूर्वक काम कर रहीं हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण बिल पारित कर ऐसे ही आरक्षण को जल्द लागू करने की जरूरत हैं। हालांकि ये बिल 33 प्रतिशत आरक्षण की बात करता है पर अगर यह पास होकर लागू हो जाए तो इसी से काफी असर पड़ सकता है। इसमें राजनैतिक दलों की भूमिका भी अहम होगी। पार्टियां अगर वाकई जेंडर समानता लाना चाहती हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर, महिलाओं को पार्टी की ऊंचे पदों पर लाना होगा।

राजनीति के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे कला, संस्कृति, खेल, उद्योग और तमाम गैर सरकारी संस्थाओं में भी महिलाओं की ऊंचे पदों पर

भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जो महिलाएं पहले से तमाम क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी, नीतियों, कानूनों और अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें निर्णय लेने और नेतृत्व संभालने के लिए तैयार करना होगा। औपचारिक शिक्षा के अलावा जेंडर समानता के बारे में बताना होगा।

आखिर में जरूरी है सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अभियान चलाकर महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता के बारे में सूचना और जागरूकता फैलाना। सामूहिक चर्चा कर इस मुद्दे की अहमियत को समझाना होगा। निरंतर चर्चा से महिलाओं के प्रति नजरिए को बदला जा सकता है। इसमें मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। महिलाओं की कौशल और क्षमता पर फोकस कर निर्णय निर्माण में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने और संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार कर मीडिया महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों से भरी मानसिकता को बदलने में सहायक साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों को साथ मिलकर एक कमेटी गठित करना चाहिए जो महिला आरक्षण विल में आवश्यक संशोधन कर उसे सभी हितधारकों के लिए स्वीकार करने योग्य बनाये और जल्द से जल्द इसे लोकसभा में पास किया जाये।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

प्लास्टिक प्रदूषणः विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती

प्र. प्लास्टिक प्रदूषण आज वैश्विक समस्या बन चुका है। इसके कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करते हुए इस पर नियंत्रण के उपाय बतलायें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- पृष्ठभूमि
- प्लास्टिक उपयोग की वर्तमान स्थिति
- प्लास्टिक निर्माण की दर
- कारण
- प्रभाव
- सरकारी पहल
- समाधान

संदर्भ

- आज प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या बन गया है।
- जमीन, वायु, जल के साथ ही मनुष्य पशु पक्षी के जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि

- प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टीकोस से बना है, जिसका सीधा तात्पर्य है आसानी से नमनीय पदार्थ जो किसी आकार में ढाला जा सके।
- 1970 के दशक में इसका उपयोग औद्योगिक तथा घरेलू क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। एक लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण यह अनेक समस्याओं को जन्म देता है।

प्लास्टिक उपयोग की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान समय में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 15 हजार टन प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।
- समुद्र के प्रति मील वर्ग में औसतन 46 हजार प्लास्टिक के टुकड़े पाये जाते हैं।

प्लास्टिक निर्माण की दर

- वैश्विक स्तर पर पिछले सात दशकों में प्लास्टिक के उत्पादन में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान तकरीबन 8.3 अरब मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया।

कारण

- प्लास्टिक महंगा नहीं है, इसलिए यह अधिक उपयोग किया जाता है।
- एक बार ही प्रयोग के बाद अधिकांश लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलिथीन बैग को फेंक देते हैं।

प्रभाव

- प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके प्रयोग से जल, वायु, भूमि के प्रदूषित होने के साथ ही मानव, पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी नकरात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

सरकारी पहल

- वर्ष 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया गया है।
- भारत के कुछ राज्यों एवं शहरों में प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

समाधान

- प्लास्टिक बैग के उपयोग को समाप्त करने के संदर्भ में दो प्रकार के उपाय अपनाये जा सकते हैं, प्रथम प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाकर द्वितीय जन जागरूकता के माध्यम से। ■

रेशम उद्योग का नया युग

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2017-18 से 2019-20 तक अगले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित सिल्क विकास योजना को मंजूरी दी है। यह योजना गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन के साथ ही रोजगार सृजन करने में किस हद तक सफल होगी? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का करण
- क्या है समेकित सिल्क विकास योजना?
- उद्देश्य
- इस योजना से लाभ
- सरकारी पहल
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में कैबिनेट ने तीन सालों के लिये समेकित सिल्क विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जाएगा।
- किसानों की मदद के लिए केन्द्र खोले जायेंगे और उन्नत बीज के विकास पर भी खास जोर दिया जाएगा।
- इस फैसले के बाद रेशम का उत्पादन वर्ष 2017 के 30348 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर 2020 की समाप्ति तक 38500 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है।

क्या है 'समेकित सिल्क विकास योजना'?

इस योजना के चार भाग हैं-

1. अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल।
2. अंडा संरचना और किसान विस्तार केन्द्र।
3. बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए समन्वय और बाजार विकास।
4. रेशम परीक्षण सुविधाओं, टेक्नोलॉजी उन्नय, गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास के जरिए रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना।
- सीड कानून के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया और अंडा उत्पादन केंद्रो द्वारा रिपोर्टिंग, मूलभूत सीड फार्म, विस्तार केंद्रो को वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित कर स्वचालित बनाया जाएगा।

इस योजना के लाभ

- रोजगार की पर्याप्त क्षमता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार, कम समय में अधिक आय, महिलाओं के लिए अनुकूल व्यवसाय, समाज के कमजोर वर्ग के लिए आदर्श कार्यक्रम आदि की चर्चा करें।

सरकारी पहल

- बारहवीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के माध्यम से रेशम-कीट पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड बीमा कंपनी को राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रिमीयम के 50 फीसदी की प्रतिपूर्ति करेगा।

चुनौतियां

- भारत में घरेलु सिल्क की मांग का लगातार बढ़ना, एक-तिहाई कच्चे सिल्क की मांग की पूर्ति चीन से होना, परंपरागत उत्पादन व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक न पहुँचना, किसानों में जागरूकता की कमी, भ्रष्टाचार आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

- घरेलु उत्पाद को बढ़ाना, सिल्क उद्योग को आधुनिक बनाने की आवश्यकता, व्यावसायीकरण की जरूरत, कृषि क्षेत्र में अन्य देशों के साथ समझौता, सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल सके, किसानों में जागरूकता बढ़ाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता आदि को इंगित करें। ■

स्टेम सेलः जैव चिकित्सा विज्ञान का उभरता क्षेत्र

प्र. स्टेम सेल आधारित उपचार को लेकर हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इस कथन के संदर्भ में भारत में स्टेम सेल थेरेपी की संभावनाओं एवं इसके लाभ तथा हानि की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- क्या है स्टेम सेल थेरेपी?
- उपचार एवं लाभ
- चिंताएं
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- स्टेम सेल आधारित उपचार को लेकर हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है।
- स्टेम सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष डा. बी. एस. राजपूत ने कहा कि स्टेम सेल को लेकर सरकार का लिया गया फैसला काफी सकारात्मक है।
- आईसीएमआर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर जारी अधिसूचना पर जल्द ही सरकार से बात की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- स्टेम सेल शरीर की मूल कोशिका है, इसलिए पहला स्टेम सेल भ्रूण में ही बनता है। मनुष्य का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना हुआ है।
- 1960 में कनाडा के वैज्ञानिकों अर्नस्ट.ए.मुकलॉक और जेम्स.ई.टिल की खोज के बाद स्टेम कोशिका के प्रयोग को बढ़ावा मिला।
- भारत में स्टेम सेल थेरेपी अनुमोदित उपचार विधि नहीं है। केवल हेमेटो-लॉजिकल विकारों और कैंसर के लिए अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण की ही मान्यता है।

स्टेम सेल थेरेपी क्या है?

- स्टेम सेल थेरेपी में यह क्षमता होती है कि यह शरीर के उन ऊतकों और अंगों को पुनर्जीवित कर देती हैं जो किसी बीमारी या विकार की वजह से क्षतिपूर्ण हो गई हैं।
- स्टेम सेल के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कोशिकाएँ हमारे अपने शरीर की होती हैं तथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें बाह्य समझकर अस्वीकार नहीं करता।

उपचार एवं लाभ

- न्यूरोमस्कलर रोग, आर्थराइटिस, मस्तिष्क चोट, मधुमेह, डायस्ट्रोफी, एएलएस, पक्षाघात, अल्जाइमर जैसे रोगों के लिए स्टेम सेल उपचार को काफी प्रभावी माना जा रहा है।
- स्टेम सेल के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये कोशिकाएँ हमारे अपने शरीर की होती हैं तथा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें बाह्य समझकर अस्वीकार नहीं करता।

चिंताएँ

- विश्व के अन्य अधिकांश देशों की तरह भारत में भी स्टेम सेल उपचार अभी अनुसंधान के स्तर पर है।
- इस दिशा में नियमन और नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है, इसके कारण शोध आदि करने में कठिनाई होती है।
- भारत में क्लीनिकल ट्रायल करना भी आसान नहीं है।

आगे की राह

- स्टेम सेल से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्कता है।
- भारत में इसका विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके उपकरण बहुत महँगे हैं।
- भारत में क्लिनिकल ट्रायल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ■

वायु प्रदूषण नियंत्रण के वर्तमान प्रयास

प्र. हाल ही में हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट (एचईआई) की वायु प्रदूषण रिपोर्ट पूरे विश्व के लिए चेतावनी है। वायु प्रदूषण से पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हुए इसके निराकरण के लिए उचित उपायों को सुझाएं।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- वायु प्रदूषण क्या है?
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- वायु प्रदूषण के कारण
- वायु प्रदूषण के प्रभाव
- वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- विश्व की 95 फीसदी आबादी दूषित हवा में सांस ले रही है और वैश्विक तौर पर प्रदूषण से होने वाली मौतों में 50 फीसदी के लिए चीन और भारत जिम्मेदार है।
- एचईआई के रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 लाख के आंकड़े के साथ भारत और चीन वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में शीर्ष पर हैं।

वायु प्रदूषण क्या है?

- वायु प्रदूषण उस स्थिति को दर्शाता है जबकि अवांछित तत्व और कण पर्यावरण में उस हद तक इकठ्ठे होते रहते हैं जिसे परिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- भारत जैसे विकासशील देशों के साथ-साथ विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका इंग्लैण्ड के लिए भी वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गई है। भोपाल गैस त्रासदी (1984), मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में आग से उत्पन्न धुंआ (1997) वायु प्रदूषण का भयावह उदाहरण हैं।
- 1990 से भारत में ओजोन परत की हानि की वजह से मृत्यु दर 53% बढ़ गई है और 2005 के बाद से 24% की वृद्धि हुई है।
- 1990 में चीन में ओजोन परत की कमी से होने वाली मौतों में 16% की वृद्धि हुई है और 2005 के बाद उसमें गिरावट आई है।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत में वायु प्रदूषण का स्तर इस हद तक खतरनाक हो गया है कि इससे हर मिनट में 2 लोगों की मृत्यु हो रही है।
- 'द लेसेंट कांउटडाउन' के रिपोर्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है।
- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2017 में कहा गया है कि वर्ष 2015 में ओजोन परत की हानि के कारण भारत में 25,4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

वायु प्रदूषण के कारण

- **प्राकृतिक कारणः** ज्वालामुखी, वनों की आग, जैविक अपशिष्ट, चट्टानों के टुकड़े, जलवाष्प, राख, विभिन्न गैसे इत्यादि। इसके अतिरिक्त कोहरा, उल्कापात, सूक्ष्मजीव परागकण भी वायु प्रदूषण में अहम भूमिका निभाते हैं।
- **मानवीय कारणः** वनों का विनाश, उद्योग/कल कारखाने, परिवहन, घरेलू कार्य, ताप विद्युत गृह, कृषि कार्य, खनन, रेडियों, धार्मिता रासायनिक पदार्थ, जानवरों के शव आदि।

वायु प्रदूषण का प्रभाव

- वनस्पतियों पर, मानव स्वास्थ्य पर, आक्सीजन, जन्तुओं पर, वायुमंडल पर आदि।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

- वायुमंडल में धूल, नमी एवं धुंआ से उत्पन्न होने वाले घूप-कोहरा पर नियंत्रण हेतु अधिक धुंआ उगलने वाली चिमनियों की ऊँचाई 80-100 मी. कर दी जाये एवं उन पर धुये से पुनः ठोस उप उत्पादन पैदा करने के सकेन्द्रण संयंत्र लगाये जाये।
- नहर, सड़क मार्गों व रेलमार्गों के आस-पास हरी पट्टी का अनिवार्यतः विकास किया जाय। पेड़ नियमित रूप से लगाकर उनका पूरा-पूरा रख-रखाव किया जाय तथा रिकार्ड रखा जाय।
- रेल में कोयले अथवा डीजल इंजनों के स्थान पर बिजली के इंजनों का उपयोग किया जाय।

निष्कर्ष

- वायु प्रदूषण वर्तमान में पूरे विश्व के लिए एक गंभीर चुनौती है जो कई सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों के रिपोर्ट से सिद्ध हो चुका है। अतः पृथ्वी के सभी प्राणियों को बचाये रखने व स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि विश्व के सभी देश वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठायें जिससे कि पृथ्वी को हरा-भरा किया जा सके तथा वायुमंडल को स्वच्छ रखा जा सके। ■

रेड कॉरिडोर का पुनर्निर्धारण

प्र. नक्सलवाद क्या है? भारत में नक्सलवादी समस्या के कारणों की चर्चा करते हुए उसके समाधान के उपाए की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- मुख्य तथ्य
- नक्सलवाद को अन्य देशों से सहयोग
- सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास
- नक्सलवाद के कारण
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई। जिसमें कहा गया कि देश में नक्सली समस्या से निपटने में सरकार ने सफलता प्राप्त की है।

पृष्ठभूमि

- नक्सलवाद कम्युनिष्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिष्ट आंदोलन के फलस्वरूप पैदा हुआ।

मुख्य तथ्य

- सरकार का कहना है कि 2015 में नक्सलियों से निपटने के लिए जो प्रोग्राम चलाया था उसमें सफलता मिली क्योंकि नक्सलवाद पहले 2013 में 76 जिलों में था अब 2017 में मात्र 58 जिलों में है।

नक्सलवाद का अन्य देशों से सहयोग

- अक्सर देखा गया है कि नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार पहुँच रहे हैं यह कहा से पहुँच रहे हैं इसके विषय में कहा जाता है कि भारत में इसको चीन बढ़ावा दे रहा है।

सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास

- सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ चला रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार जैसे कार्यक्रम प्रमुख है ताकि इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

नक्सलवाद के कारण

- नक्सलवाद का कोई एक कारण न होकर कई कारण हैं जिनमें उनके प्राकृतिक अधिकार जंगल, जल और जमीन के अधिकारों का छीना जाना। इसके साथ उनको आर्थिक विकास की राह में ऐसे ही छोड़ देना, गरीबी बेरोजगारी आदि सभी कारण हैं।

समाधान

- सरकार द्वारा नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 'समाधान' नाम का कार्यक्रम शुरू किया गया साथ ही सरकार द्वारा सेना के इस्तेमाल सहित उनके आर्थिक विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों को लाया जा रहा है।

निष्कर्ष

- आज नक्सलवाद निःसंदेह अंतिम अवस्था में है पर सरकार को भी उन्हें उनका उचित स्थान देना होगा ताकि वह विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें। ■

राष्ट्रमंडल सम्मेलन–2018

प्र. हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रमण्डल कोष में भारत का तकनीकी सहयोग दोगुना करने की घोषणा की है। इस संदर्भ में आज राष्ट्रमंडल अपने सदस्य देशों के साथ ही विश्व के लिए कितना प्रासंगिक है? मूल्यांकन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- संरचना
- उद्देश्य
- राष्ट्रमंडल की आवश्यकता क्यों?
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सलाना बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ओर से कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने राष्ट्रमंडल के कोष में भारत का तकनीकी सहयोग दोगुना करने की घोषणा की है।
- यहाँ दुनिया के 53 देशों के इस समूह की 11वीं शिखर बैठक में इस बार का विषय 'साझा विकास' को रखा गया है।
- वहीं बाते साल 2010 के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री चोगम की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन पहली बार बिंडसर कैसल में हो रहा है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रकुल देश 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमें सारे राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित हैं।, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप 1947 में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अफ्रीका, एशिया और पश्चिमी गोलार्द्ध के अनेक देश ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गये।
- भारत और पाकिस्तान 1947 में राष्ट्रमंडल के सदस्य बने, जबकि श्रीलंका 1948 में।

संरचना

- राष्ट्रमंडल सबसे कम संस्थागत स्वरूप वाले अंतर-सरकारी संगठनों में से एक है। शासनाध्यक्षों की द्विवार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- संयुक्त राष्ट्र के बाद चोगम विश्व का सबसे बड़ा अंतर सरकारी सम्मेलन है।
- सचिवालय के अंदर राष्ट्रमंडल तकनीकी कोष का गठन किया गया है जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए विशेषकर कम विकसित देशों को बहुपक्षीय तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

उद्देश्य

- इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ-II प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं।
- राष्ट्रमंडल के उद्देश्यों और अन्य पक्षों के निर्धारण के लिए कोई-औपचारिक संविधान, घोषणा-पत्र या संधि की व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रमंडल की आवश्यकता क्यों?

- 2009 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे।
- शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य राष्ट्र उसके समक्ष अवसरों और चुनौतियों, लोकतंत्र और शांति तथा समृद्धि को आगे बढ़ाने के बारे में साझा रूख तय करेंगे।

आगे की राह

- इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया का भविष्य कई मायनों में अनिश्चित है और परमाणु हथियारों से लेकर ग्लोबल वार्मिंग विभिन्न बीमारियों और आतंकवाद से लेकर ऐसी चुनौतियों की अंतहीन सूची है, जिनसे दुनिया के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसी मौजूदा परिस्थिति में राष्ट्रमंडल इन समस्याओं को हल करने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है।
- आने वाले सालों में भारत सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) के पैमाने पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और इसलिए राष्ट्रमंडल के भीतर सभी मुद्दों पर बातचीत में उसकी सबसे अहम भूमिका होनी चाहिए। ■

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का वर्तमान परिदृश्य

प्र. भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करते हुए महिला आरक्षण विधेयक की चुनौतियों का विश्लेषण करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- पृष्ठभूमि
- महिला आरक्षण की मांग क्यों?
- महिला आरक्षण का विरोध क्यों?
- भारतीय राजीनति में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी
- राजनीति में महिला भागीदारी की चुनौतियां
- समाधान
- निष्कर्ष

संदर्भ

- अक्सर कहा जाता है महिलाएँ देश की आबादी का आधा हिस्सा है पर उनका प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष नहीं है। खास तौर पर राजनीति में वर्तमान में संसद में मात्र 12% भागीदारी है महिलाओं कि जो एक सोच का विषय है।

पृष्ठभूमि

- 1993 में 73वें और 74वें संसोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। महिला आरक्षण बिल को सर्वप्रथम 1996 में संसद में लाया गया।

महिला आरक्षण की मांग क्यों?

- संविधान महिलाओं को बराबरी का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु महिलाओं का राजनीति में होना आवश्यक है।

महिला आरक्षण का विरोध क्यों?

- जो लोग महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हैं उनका मुख्य तर्क हैं कि इसमें उन महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा जो पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक वर्ग से आती हैं। इसके अलावा राजनीतिज्ञों की पुरूषवादी सोच।

भारत की राजनीति में महिलाओं की वर्तमान में भागीदारी

- लोक सभा में कुल 545 सांसद हैं इनमें सिर्फ 66 ही महिला सांसद है तथा राज्य सभा में मात्र 23 महिला सांसद है।

महिलाओं की भागीदारी में चुनौतियाँ

- पुरुषप्रधान समाज, तथा रूढ़ीवादी सोच, महिलाओं की कम साक्षरता तथा उनके लिए आरक्षित स्थानों का अभाव आदि।

समाधान

- महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करना होगा तथा लैगिंक समानता लानी होगी और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।

निष्कर्ष

- महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण बिल पास करना होगा अगर यह पास हो जाएगा तो महिलाओ की हिस्सेदारी राजनीति में कुछ बेहतर हो सकेगी।

■

सात महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय

1. उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत

उत्तर कोरिया के नेता एवं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सहित एक कोरियाई शिखर सम्मेलन बैठक का आयोजन किया गया था। कोरियाई नेताओं की इस ऐतिहासिक बैठक के बाद विभाजित प्रायद्वीप में स्थायी शांति एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का इरादा व्यक्त किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा दोनों देशों को विभाजित करने वाली सैन्य विभाजक रेखा पर प्रतीकात्मक रूप से हाथ मिलाने के अतिरिक्त दोनों नेताओं ने पूर्ण निरस्त्रीकरण, परमाणु मुक्त कोरियाई प्रायद्वीप के साझा लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक घोषणा पत्र भी जारी किया है।

इस बैठक के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने एक दूसरे का आभार प्रकट किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए दोनों शीर्ष नेताओं ने शिखर वार्ता के समापन पर अपनी मित्रता का प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग उन के हाथों में है जो अपनी रूढिवादी, शक्तिपूर्ण सत्ता चलाने के लिए जाना जाता है। वहीं दक्षिण कोरिया की कमान मून जेई के हाथों में है जो देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य आम तौर पर युद्ध जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। दोनों देशों के मध्य विवाद का प्रमुख कारण है कोरियाई युद्ध जो बंटवारे के बाद से लड़ा जा रहा है। यह युद्ध, जमीन एवं प्रतिष्ठा को लेकर आये दिन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा लड़ा जा रहा है। इस बैठक में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों देशों की शांति के लिए बैठकर हल निकाला जायेगा और शांतिपूर्ण तरीके से इस युद्ध को पूर्ण विराम दिया जायेगा।

बैठक के दौरान दोनों देशों के नेताओं के मध्य कई समझौते किये गये हैं जिसमें नियमित बैठक एवं सीधे तौर पर फोन वार्ता भी शामिल है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपना छठा परमाणु परीक्षण किया।

कोरियाई युद्ध के लगभग 65 वर्ष बाद उत्तर कोरिया के किम जोंग उन पहले नेता बन गये हैं जिन्होंने दक्षिण कोरिया की धरती पर अपना कदम रखा है। ■

2. विदेश से पैसा भेजने में भारतीय अव्वलः विश्व बैंक रिपोर्ट

विश्व बैंक ने 23 अप्रैल 2018 को जारी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2017 में विदेश में बसे भारतीयों ने अपने घर-परिवार के लोगों को 69 अरब डॉलर भेजे जो इससे पिछले वर्ष की अपेक्षा 9.9 प्रतिशत अधिक है।

भारत में भेजी गई यह धनराशि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है लेकिन वर्ष 2014 में प्राप्त हुए 70.4 अरब डॉलर की तुलना में कम है।

उल्लेखनीय है कि भेजी गई रकम अर्थात् विदेश से भेजा गया धन कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को मजबूती देता है।

विश्व बैंक रिपोर्ट के मुख्य तथ्य

- भारत के बाद दूसरे स्थान पर चीन है जिसने 64 बिलियन डॉलर का भेजी गई रकम किया है।
- इसके बाद क्रमशः फिलीपिंस 33 बिलियन, मेक्सिको 31 बिलियन के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहें हैं।
- पाकिस्तान 20 बिलियन और बांग्लादेश 13 बिलियन के भेजी गई रकम के साथ सामान्य रहे जबकि श्रीलंका में 0.09 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
- छोटे और मध्य इनकम वाले देशों ने 466 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ जो कि पिछले साल 2016 के 429 बिलियन से 8.5 प्रतिशत ज्यादा है।
- वैश्विक स्तर पर उच्च आय वाले देशों ने भी 7 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है।

विश्व बैंक रिपोर्ट के सुझाव

विश्व बैंक के अनुसार भेजी गई रकम में उम्मीद से ज्यादा बढ़त के पीछे यूरोप, रूस और अमेरिका में तेजी से बढ़ी विकास दर है, यूरो, रूबल में आई मजबूती और बढ़ी हुई तेल की कीमतों के कारण भेजी गई रकम में उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि 2018 में भेजी गई रकम दर मध्य आय वाले देशों में 4.1 फीसदी से बढ़कर 485 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। विश्व स्तर पर यह 642 बिलियन डॉलर के साथ 4.6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। ■

3. भारत–पाकिस्तान सैन्य अभ्यास

रूस में सितंबर में होने वाले बहु-राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में पहली बार धुर विरोधी भारत और पाकिस्तान हिस्सा लेंगे। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से आयोजित इस सैन्य अभ्यास में चीन और कई अन्य देश भी शामिल होंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह सैन्य अभ्यास शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की रूपरेखा के तहत किया जाएगा।

रूस में किया जाएगा अभ्यास

सुरक्षा समूह की इस संस्था पर चीन का प्रभुत्व है जिसे अब नाटो की बराबरी कर सकने वाली संस्था के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास रूस के यूराल पर्वत क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा और एससीओ के लगभग सभी सदस्य इसका हिस्सा बनेंगे। उन्होंने बताया कि शांति मिशन के इस अभ्यास का मुख्य मकसद एससीओ के आठ सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है। पिछले हफ्ते बीजिंग में एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इस अभ्यास में भाग लेने की पुष्टि की।

अधिकारियों ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही सैन्य अभ्यास का हिस्सा होंगे। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन में साथ काम किया है। रूस, चीन , किर्गिज गणराज्य, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 2001 में शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ की स्थापना की थी। भारत और पाकिस्तान को 2005 में इस समूह के पर्यवेक्षकों के तौर पर शामिल किया गया था। पिछले साल दोनों देशों को पूर्ण सदस्य बनाया गया। भारत को सदस्य बनाने के लिए रूस ने और पाकिस्तान को सदस्य बनाने के लिए चीन ने मजबूती से पक्ष रखा था। ■

4. विश्व बैंक: नेशनल बायोफार्मा मिशन

केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल बायोफार्मा मिशन के तहत बायोफर्मास्यूटिकल्स के शुरुआती विकास की दिशा में अनुसंधान को तेज करने के लिए वित्तपोषण व्यवस्था के लिए विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल बायोफार्मा मिशन को पांच साल की अवधि के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से मंजूरी दे दी गई है।

उद्देश्य:

- इसका मुख्य उद्देश्य भारत को नवीन, किफायती और प्रभावी बायोफर्मास्यूटिकल उत्पादों के डिजाइन और विकास का एक केंद्र बनाना है।
- अकादमिक शोधकर्ताओं की क्षमता को मजबूत करना, उत्पाद विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान लागत और जोखिम को कम करके जैव उद्यमियों और एसएमई को सशक्त बनाना तथा उद्योग के नवाचार को बढावा देना इसका उद्देश्य है।

इसके वित्त पोषण में विश्व बैंक 50 प्रतिशत ऋण प्रदान करेगा। इस कानूनी समझौते का निष्पादन बीआईआरएसी, आर्थिक मामलों के विभाग और पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (वर्ल्ड बैंक की एक शाखा) की ओर से किया गया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के अंतर्गत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) द्वारा नेशनल बायोफार्मा मिशन लागू किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

भारत फार्मास्यूटिकल उद्योग में काफी सक्रिय रहा है और जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण तथा जरूरतमंदों के लिये कम कीमत वाले फार्मास्यूटिकल उत्पादों में भारत का वैश्विक स्तर पर अहम योगदान रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय बायोफार्मास्यूटिकल्स उद्योग में इससे बड़ा बदलाव आएगा। इससे उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक परितंत्र का भी निर्माण होगा। ■

5. स्वाजीलैंड ने बदला अपना नाम

दक्षिण अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय ने अपने देश का नाम बदलकर 'द किंगडम ऑफ इस्वातिनी' रखने की घोषणा की है।

स्वाजीलैंड की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रम में राजा ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। इस्वातिनी का अर्थ है 'स्वाजियों की भूमि' राजा मस्वाती तृतीय वर्षों से स्वाजीलैंड को इस्वातिनी कहते आ रहे थे। वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए और वर्ष 2014 में देश के संसद के उद्घाटन के अवसर पर भी उन्होंने इसी नाम का इस्तेमाल किया था।

क्या होगा प्रभाव?

- देश के संविधान में 'स्वाजीलैंड' 200 बार प्रयोग किया गया है जिसे बदलना होगा।
- देश की अधिकारिक एयरलाइन्स स्वाजीलैंड एयरलिंक को भी बदला जायेगा जबकि करेंसी सिक्कों पर सेंट्रल बैंक ऑफ स्वाजीलैंड मुद्रित है जिसे बदलना पड़ेगा।
- सरकारी वेबसाइट पर भी नाम बदलना होगा तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक आदि में भी देश का नाम फिर से पंजीकृत कराना होगा।
- इन्टरनेट डोमन, नंबर प्लेट्स, खिलाड़ियों की यूनिफार्म तथा सरकारी संस्थानों पर लिखे गये नाम भी अब फिर से बदले जायेंगे।

इन स्थानों पर नहीं बदलना होगा नाम

- स्वाजीलैंड का जिक्र यहां के राष्ट्रीय गान में नहीं किया गया है इसलिए इसे बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।
- पासपोर्ट पर स्वाजीलैंड अंग्रेजी और फ्रेंच में लिखा गया है जिसके चलते इसे तुरंत नहीं बदला जायेगा। ■

6. भारत विश्व का चौथा सबसे सहिष्णु देश

विश्व भर में सहिष्णुता के पैमाने को मापने के लिए Ipsos MORI द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। विश्व पटल पर सहिष्णुता के पैमाने पर भारत चौथे स्थान पर है।

भारत में पिछले कुछ समय से सहिष्णुता को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं लेकिन इस सर्वेक्षण में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः चीन एवं मलेशिया हैं।

भारत के संदर्भ में सहिष्णुता सर्वेक्षण के मुख्य तथ्य

- यह सर्वेक्षण Ipsos Mori द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण में 27 देशों के करीब 20 हजार लोगों का इंटरव्यू किया गया।
- इसमें उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की गई जो कि नागरिकों के अनुसार मतांतर अथवा समाज को बांटने का काम करते हैं।
- सर्वे के अनुसार 63 प्रतिशत भारतीय अलग-अलग समुदाय, संस्कृति या दृष्टिकोण वाले लोगों के मत पर भारत को सहिष्णु देश मानते हैं।
- सर्वेक्षण द्वारा यह सामने आया कि 53 प्रतिशत भारतीय दूसरे समुदाय, संस्कृति या दृष्टिकोण वाले लोगों से मेलजोल बढ़ने पर आपसी समझ और सम्मान की भावना पैदा होती महसूस करते हैं।
- भारत में लगभग 49 प्रतिशत लोगों को लगता है कि राजनीतिक विचारों में मतभेद समाज में तनाव का कारण बनते हैं।
- 48 प्रतिशत लोग इसके लिए धर्म और 37 प्रतिशत लोग सामाजिक-आर्थिक अंतर को इसका कारण मानते हैं।

सर्वेक्षण में अन्य देशों की स्थिति

- विश्व भर के तीन चौथाई लोगों को लगता है कि उनके देश में समाज पहले की अपेक्षा अधिक बंटा हुआ है। विशेषकर यूरोप के लोग मानते हैं कि पिछले 10 वर्षों की तुलना में उनके देश में असहिष्णुता बढ़ी है।
- राजनीतिक विचारों में मतभेद को सबसे अधिक असहिष्णुता का कारण बताया गया है जबकि अमीरी और गरीबी इसके बाद आते हैं।
- जो देश विभाजन के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित हैं उनमें सर्बिया के ज्यादातर लोग (93%) कहते हैं कि उनका समाज विभाजित है।
- इसके बाद पेरू और चिली (दोनों 90%), सऊदी अरब (34%) चीन (48%) और जापान (52%) का स्थान आता है।
- इसी प्रकार सर्वेक्षण में पाया गया कि स्पेन के 77% लोगों का मानना है कि उनके देश में पिछले 10 वर्षों में समाज में विभाजन बढ़ा है।

■

7. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन–2018 लुम्बिनी में आयोजित

वर्ष 2018 की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित किया गया। इस दौरान 2562वां बुद्ध पूर्णिमा समारोह भी मनाया गया। इस अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में भारत, नेपाल, श्रीलंका तथा जापान सहित विभिन्न राष्ट्रों और क्षेत्रों से बौद्ध संघों के प्रतिनिधि, बौद्ध विद्वानों और 1000 से अधिक बौद्ध लोगों ने भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन-2018

- प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को एक विषय दिया जाता है। इस वर्ष का विषय था – "नेपाल के लुम्बिनी बुद्ध के गृहनगर, बौद्ध धर्म और विश्व शांति का स्रोत।"
- इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य बुद्ध के गृहनगर यानी लुम्बिनी की लोकप्रियता को बढ़ाना है।
- अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संचार का विकास और लुम्बिनी को बौद्ध धर्म और विश्व शांति के स्रोत के रूप में बनाया जाना है।
- साथ ही नेपाल को दुनिया में मुख्य तीर्थयात्रा गंतव्य स्थलों में से एक बनाने के लिये प्रयास किया जा रहा है।
- विदित हो कि लुम्बिनी विश्व सांस्कृतिक विरासतों में से एक है तथा इसे नेपाल की पवित्र भूमि माना जाता है।

लुम्बिनी के बारे में

लुंबिनी भगवान बुद्ध की जन्म स्थली है। यह भारत के बिहार राज्य की उत्तरी सीमा के निकट वर्तमान नेपाल में स्थित है। युनेस्को तथा विश्व के सभी बौद्ध सम्प्रदाय (महायान, बज्रयान, थेरवाद आदि) के अनुसार यह स्थान आज नेपाल के कपिलवस्तु में है। सभी बुद्ध धर्म के सम्प्रदायों ने अपने संस्कृति के अनुसार मन्दिर, गुम्बद, विहार आदि निर्माण किया है। इस स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तम्भ में ब्राह्मी लिपिकृत प्राकृत भाषा में बुद्ध का जन्म स्थान होने का वर्णन किया हुआ शिलापत्र अवस्थित है। ■

राष्ट्रीय

1. उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2018 को उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इसके तहत देश भर के 750 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र गांवों को गोद लेंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कालेज और विश्वविद्यालय के छात्र इसमें शामिल हों और आसपास के गांवों के लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं से अवगत हों। वास्तव में छात्र ही परिवर्तन के वाहक हैं, जो देश के भविष्य को विकसित, सशक्त और उज्ज्वल कर सकते हैं।

उन्होंने इस मौके पर छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, वित्तीय समावेशन, महिलाओं और बाल विकास से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनका हल करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी कराने की भी सलाह दी।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उचित तकनीक का उपयोग करके स्थानीय समुदायों के विकास चुनौतियों का समाधान करने के लिए उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थानों को शामिल करके एक समावेशी भारत की वास्तुकला का निर्माण करना है।

उन्नत भारत अभियान

- उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम को आईआईटी, एनआईटी आदि के साथ मिल कर बनाया गया है।
- उन्नत भारत अभियान (यूबीए) ग्रामीण उत्थान के लिए राष्ट्रीय मिशन है जो ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तनों के दृष्टिकोण से प्रेरित है।
- उन्नत भारत अभियान एक मिशन की पहल है जिसे 11 नवंबर 2014 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया है।

उन्नत भारत अभियान से क्या लाभ हैं?

उन्नत भारत अभियान के तहत, पेशेवर संस्थान, गांवों में दिक्कतों और विकास की जरूरतों को पहचानेंगे। गांवों के विकास में तेजी लाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान (workable scheme) विकसित किए जाएंगे। ये मिशन तकनीकी समुदायों को तकनीकी रूप से और स्थानीय रूप से व्यावहारिक विकास समाधान में सशक्तिकरण करेगा जो स्वयं-निर्भरता को बढ़ावा देते हैं।

उन्नत भारत अभियान भारत में क्यों शुरू हुआ?

- भारत में, 70% आबादी कृषि क्षेत्र में जुड़ी ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और सार्वजनिक सेवाओं और परिसंपत्तियों की उपलब्धता में भारी अंतर होता है। इसलिए उन्नत भारत अभियान को इस समझ से शुरू किया गया था कि ग्रामीण विकास के बिना, भारत अपनी विकास क्षमता को बेहतर ढंग से नहीं हासिल कर सकता है और न ही दुनिया में अपनी जगह का दावा कर सकता है।

■

2. इंदु मल्होत्रा

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश मानते हुए सीनियर एडवोकेट इंदु मल्होत्रा को जज बनाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इंदु सुप्रीम कोर्ट में वकील से सीधे जज बनने वाली पहली महिला होंगी जबकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर बानुमति के बाद इंदु दूसरी महिला जज होंगी।

इस घटनाक्रम के साथ सरकार ने न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पदोन्नति रोके रखने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति जोसेफ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को इंदु की नियुक्त किए जाने के सरकार के फैसले के बारे में पत्र लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत के 39 वर्षों में कोई महिला जज नहीं रही। 1989 में फातिमा बीबी को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाया गया। इसके बाद जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस रुमा पाल, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस रंजना देसाई को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। इंदु मल्होत्रा आजादी के बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली छठी महिला होंगी। फिलहाल जस्टिस जी रोहिणी और आर बानुमति सुप्रीम कोर्ट में महिला जज हैं।

मल्होत्रा वकीलों के परिवार से आती हैं। उनके पिता ओपी मल्होत्रा वरिष्ठ वकील थे और उनके बड़े भाई और बहन भी वकील हैं। मल्होत्रा ने राजनीतिक विज्ञान में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की है और इससे पहले उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद उन्होंने 1983 में कैरियर की शुरुआत की थी तथा वो कई अहम फैसलों में जजों की पीठ में रही हैं।

■

3. विदेशी नागरिक को नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की यात्रा की मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिक को बिना अनुमति के नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर यात्रा करने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छह दशकों से लागू प्रतिबंध में ढील देने का फैसला लिया है। एक अप्रैल से पांच वर्षों के लिए दी गई छूट के तहत विदेशी नागरिक नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जा सकेंगे।

सरकार ने केवल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नागरिकों को यह छूट नहीं दी है। इससे पहले तक विशेष परमिट के बिना विदेशी यात्री इस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे।

उद्देश्य

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय -समय पर अधिसूचना जारी करके कुछ ऐसे क्षेत्रों को निषेध अथवा प्रतिबंधित से छूट देती है।

संरक्षित क्षेत्र क्या है?

विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के तहत कुछ राज्यों में इनर लाइन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच के सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। संरक्षित क्षेत्र या रक्षित क्षेत्र किसी ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसकी उसके प्राकृतिक, पर्यावरणीय या सांस्कृतिक महत्व के कारण परिवर्तन या हानि से रक्षा की जा रही हो। रक्षित क्षेत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं और उन्हें अलग-अलग स्तरों का संरक्षण दिया जाता है।

इस निषेध क्षेत्र में वर्तमान में पूरा अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम आते हैं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। सिक्किम का कुछ भाग निषेध क्षेत्र में तथा शेष प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है।

■

4. शीतांशु यशचंद्र को मिला सरस्वती सम्मान

- नयी दिल्ली में 27 अप्रैल को गुजराती के प्रमुख कवि, नाटककार एवं विद्वान शीतांशु यशचंद्र को 27वां सरस्वती सम्मान दिये जाने की घोषणा की गयी।
- लोकसभा के पूर्व महासचिव डा. सुभाष सी. कश्यप की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय चयन समिति ने श्री यशचंद्र को उनकी कविता पुस्तक 'वखार' के लिए वर्ष 2017 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया। पुरस्कार में 15 लाख रुपये की राशि, एक ताम्र पत्र और प्रशस्ति पत्र शामिल है।
- के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात के भुज में

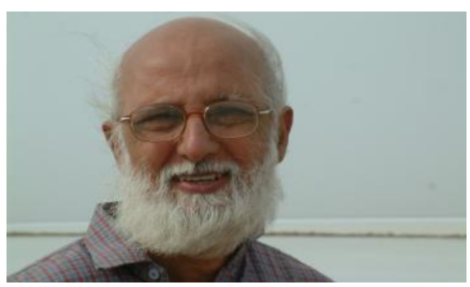

1941 में जन्मे श्री यशचंद्र को यह सम्मान भारतीय भाषाओं के साहित्य में प्रमुख योगदान को देखते हुए उनके काव्य संग्रह पर यह पुरस्कार दिया गया है जो 2009 में प्रकाशित हुआ था।

- श्री यशचंद्र को 2006 में पद्म श्री, 1998 में कवि सम्मान और 1996 में राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिल चुका है। वह एक कुशल अनुवादक और नाट्ककार के रूप में भी जाने जाते हैं।
- यह पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था और स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब तक इस पुरस्कार को पाने वालों में सर्वश्री विजय तेंदुलकर, सुनील गंगोपाध्याय, एम विरप्पा मोइली, गोविंद मिश्र जैसे प्रमुख लोग शामिल हैं।
- श्री यशचंद्र की तीन कविता संग्रह, 10 नाटक और आलोचना की तीन पुस्तकें छपी हैं। उन्हें 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है।

■

5. लाल किले को डालमिया ग्रुप ने गोद लिया

सरकार की 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्कीम के तहत लाल किला को डालमिया ग्रुप ने पांच साल के कॉन्ट्रेक्ट पर गोद लिया है। डालमिया ग्रुप लाल किले पर हर साल करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें लाल किले पर सुविधाएं को बढ़ाने और उसके सुंदरीकरण पर काम किया जाएगा। बता दें, 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्कीम राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पिछले साल पर्यटन दिवस के मौके पर शुरू की थी। 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्कीम के तहत सरकार निजी कंपनियों को

धरोहर को गोद लेने और उन्हें संभालने के लिए आमंत्रित करती है। अब इसी के तहत पांच साल तक लाल किले के रखरखाव की जिम्मेदारी डालमिया ग्रुप को मिली है। भारत सरकार ने डालमिया ग्रुप से लाल किला और कडपा जिले के गंडीकोटा किले (आंध्र प्रदेश) को लेकर एमओयू साइन किया है।

इस एमओयू के तहत अब डालमिया ग्रुप लाल किले में सुविधाएं बढ़ाने का काम करेगा। जिसमें लोगों के आने-जाने, शुद्ध पेयजल, साफ-सफाई, सर्विलांस सिस्टम, पर्यटकों के लिए आरामदायक कुर्सियां और उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान करने

का काम शामिल है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम भी होगा।

डालमिया ग्रुप का कहना है कि, उनके द्वारा लाल किले पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए यहां लाइट और साउंड शो का नियमित तौर पर आयोजन किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि वो लाल किले को रात में देखने लायक भी बनाएगा इसके लिए यहां लाइटों का प्रबंध किया जाएगा और उसी हिसाब से इसकी साज सज्जा की जाएगी।

क्या है 'एडॉप्ट ए हेरिटेज' स्कीम?

'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना पिछले साल सितंबर में शुरू की गई थी। पर्यटन दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव के लिए मोनुमेंट्स मित्र चुने जाते हैं। अभी इस योजना में देश के 100 के करीब ऐतिहासिक इमारतों को शामिल किया गया है। जिसमें ताजमहल, चित्तौड़गढ़ का किला, महरौली पुरातत्व पार्क जैसी धरोहर शामिल हैं।

■

6. आदिलाबाद डोकरा और वारंगल की दरियों को जीआई टैग

अदिलाबाद डोकरा कला

तेलंगाना स्थित अदिलाबाद की डोकरा क्रॉफ्ट तथा वारंगल की दरियों को हाल ही में जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।

अदिलाबाद डोकरा धातु की काश्तकारी है जिससे अक्सर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। वारंगल की दरियां इस क्षेत्र के बुनकरों की विशेष पहचान हैं। जीआई टैग प्राप्त होने के बाद इस क्षेत्र में कार्यरत कलाकार अपनी कृतियों के लिए उचित दाम भी प्राप्त कर सकेंगे।

अदिलाबाद डोकरा क्रॉफ्ट के बारे में

- डोकरा कलाकार वोज समुदाय से आते हैं जिन्हें तेलंगाना में वोजरी अथवा ओटरी के नाम से भी जाना जाता है।
- अदिलाबाद डोकरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी प्रत्येक कलाकृति दूसरे से भिन्न होती है।
- इसकी एक कलाकृति की हूबहू कॉपी बनाना लगभग असंभव है क्योंकि इसमें धातु पर बेहद बारीकी से काम किया गया होता है।
- कलाकार कांसे की वस्तुओं को पुरातन तरीके से ढाल कर उसे मोम के ढांचे में डालकर तैयार करते हैं जिससे इस कला को और भी अधिक बारीकी हासिल होती है।
- अदिलाबाद डोकरा की कलाकृतियों में अधिकतर स्थानीय देवताओं, घंटियों, नृत्य करते हुए, आभूषण, छोटी मूर्तियां तथा अन्य साजो-सामान की वस्तुएं शामिल होती हैं।
- इन कलाकृतियों की विदेशों में काफी मांग है। अदिलाबाद जिले के पांच गावों के 100 से अधिक परिवार इस काम में आज भी जुटे हैं।

वारंगल की दरियां

- वारंगल भारत में दरियों की बुनाई के लिए एक विशेष केंद्र के रूप में जाना जाता है।
- वारंगल की दरियों को इसकी महीन बुनाई के कारण विश्व में विशेष पहचान हासिल है।
- इस क्षेत्र में सूत की उपज अधिक है इसलिए यहां की दरियां खासकर सूत से बनाई जाती हैं।
- इस क्षेत्र में लगभग 2000 बुनकर समुदाय हैं जो दरियों की बुनाई का काम करते हैं।
- यहां बुनी गई दरियां इंग्लैंड, जर्मनी तथा यूरोप व अफ्रीका के विभिन्न देशों में निर्यात होती हैं।

जीआई टैग क्या है?

- भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

- भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद मुख्यतः एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएँ) होता है, जिसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया या बनाया जाता है।
- जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करता है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके मूल्यों को निर्धारित करने में सहायता करता है।
- यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता सुनिश्चित होती है।
- भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसके उत्त्पति स्थान के कारण ही होते हैं।
- यह दर्शाता है कि वह उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, इत्यादि।

भारत में जीआई टैग की स्थिति

- जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया जाता है।
- वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और सरंक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था।

वर्ष 2004 में 'दार्जिलिंग टी' जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है।

■

7. जम्मू–कश्मीर मंत्रिमंडलः बच्चियों से दुष्कर्म पर होगी फांसी की सजा

जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने 24 अप्रैल 2018 को बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा देने वाले एक संशोधन मसौदे को मंजूरी दे दी। भारत में बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मौत की सजा पारित करने वाला पहला राज्य जम्मू-कश्मीर बन गया है। इस मसौदे को अध्यादेश के रूप में अधिसूचित करने के लिए राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसमें बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हाल में एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद यह कदम उठाया गया है।

जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून अध्यादेश

- इस अध्यादेश में भी 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा।
- 12 से 16 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।

महत्व

- संशोधन के अनुसार, दुष्कर्म और यौन अपराधों के मामले को महिला पुलिस अधिकारी ही देखेगी और इन मामलों को दो महीने के भीतर पूरा करना होगा। उसके बाद निचली अदालत इस प्रक्रिया को छह माह में पूरा करेगी।

- इसके साथ ही, ऐसे मामलों में त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक सुनवाई का भी प्रावधान है।

पॉक्सो एक्ट क्या है?

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में एक विशेष कानून बनाया था। जो बच्चों को छेड़खानी, बलात्कार और कुकर्म जैसे मामलों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून का नाम पॉक्सो एक्ट रखा गया।
- इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।
- यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
- वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल 2018 को पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने पर मंजूरी दे दी थी जिसके बाद ये एक्ट लागू हो गया है। पॉक्सो कानून में पहले बच्ची से रेप पर उम्रकैद की सजा थी। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

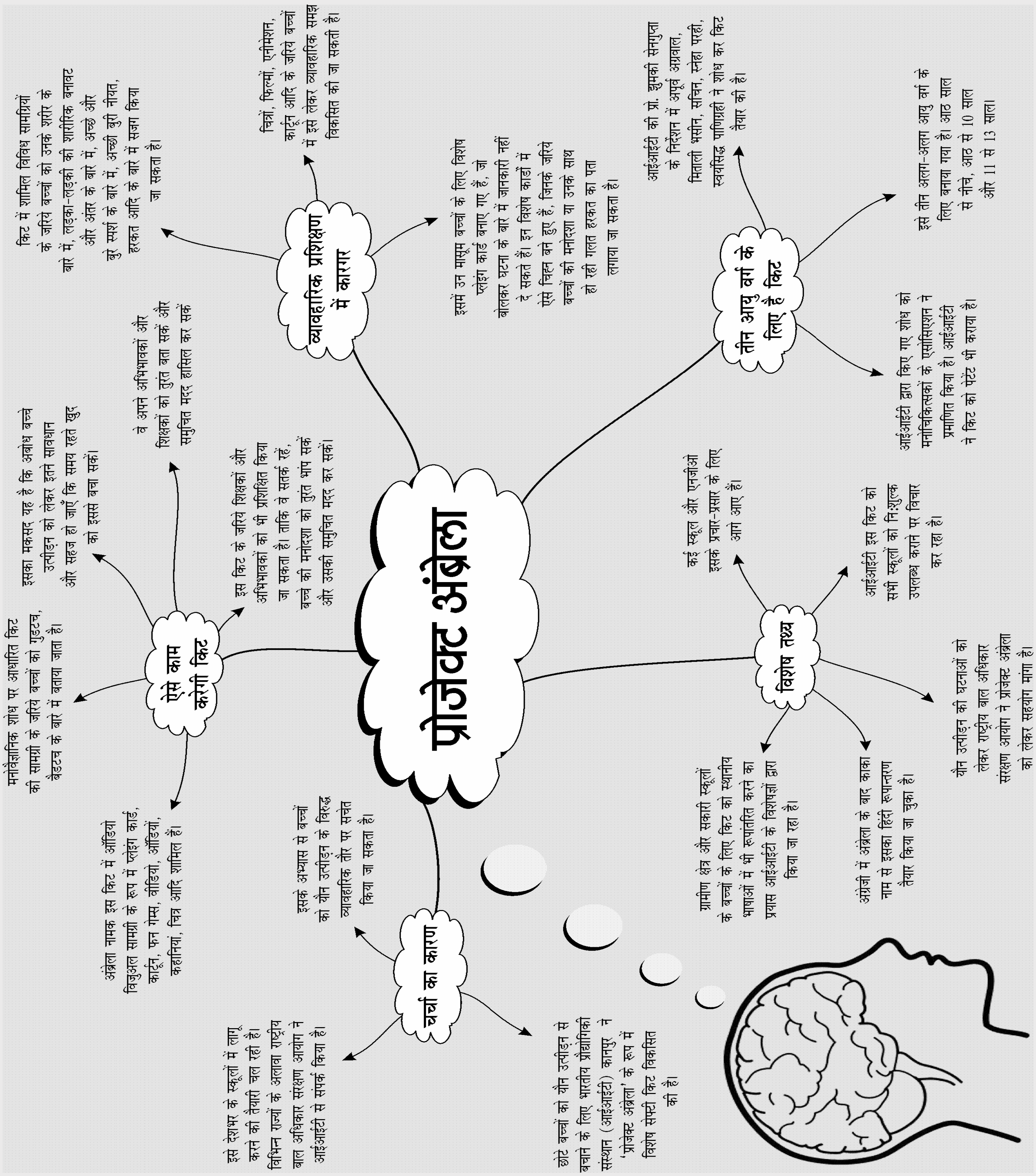
प्रोजेक्ट अंब्रेला
ऐसे काम करेगी किट
मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित किट की सामग्री के जरिये बच्चों को गुडटच, बैडटच के बारे में बताया जाता है।
इसका मकसद यह है कि अबोध बच्चे उत्पीड़न को लेकर इतने सावधान और सहज हो जाएँ कि समय रहते खुद को इससे बचा सकें।
अंब्रेला नामक इस किट में ऑडियो विजुअल सामग्री के रूप में प्लेइंग कार्ड, कार्टून, फन गेम्स, वीडियो, ऑडियों, कहानियां, चित्र आदि शामिल हैं।
वे अपने अभिभावकों और शिक्षकों को तुरंत बता सकें और समुचित मदद हासिल कर सकें
इस किट के जरिये शिक्षकों और अभिभावकों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। ताकि वे सतर्क रहें, बच्चे की मनोदशा को तुरंत भांप सकें और उसकी समुचित मदद कर सकें।
व्यावहारिक प्रशिक्षण में कारगर
किट में शामिल विविध सामग्रियों के जरिये बच्चों को उनके शरीर के बारे में, लड़का-लड़की की शारीरिक बनावट और अंतर के बारे में, अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में, अच्छी बुरी नीयत, हरकत आदि के बारे में सजग किया जा सकता है।
चित्रों, फिल्मों, एनीमेशन, कार्टून आदि के जरिये बच्चों में इसे लेकर व्यावहारिक समझ विकसित की जा सकती है।
इसमें उन मासूम बच्चों के लिए विशेष प्लेइंग कार्ड बनाए गए हैं, जो बोलकर घटना के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। इन विशेष कार्डों में ऐसे चिह्न बने हुए हैं, जिनके जरिये बच्चों की मनोदशा या उनके साथ हो रही गलत हरकत का पता लगाया जा सकता है।
चर्चा का कारण
इसे देशभर के स्कूलों में लागू करने की तैयारी चल रही है। विभिन्न राज्यों के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आईआईटी से संपर्क किया है।
इसके अभ्यास से बच्चों को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध व्यावहारिक तौर पर सचेत किया जा सकता है।
छोटे बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने 'प्रोजेक्ट अंब्रेला' के रूप में विशेष सेफ्टी किट विकसित की है।
विशेष तथ्य
ग्रामीण क्षेत्र और सकारी स्कूलों के बच्चों के लिए किट को स्थानीय भाषाओं में भी रूपांतरित करने का प्रयास आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।
कई स्कूल और एनजीओ इसके प्रचार-प्रसार के लिए आगे आए हैं।
अंग्रेजी में अंब्रेला के बाद काका नाम से इसका हिंदी रूपान्तरण तैयार किया जा चुका है।
आईआईटी इस किट को सभी स्कूलों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।
यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रोजेक्ट अंब्रेला को लेकर सहयोग मांगा है।
तीन आयु वर्ग के लिए है किट
आईआईटी की प्रो. झुमकी सेनगुप्ता के निर्देशन में अपूर्व अग्रवाल, मिताली भसीन, सचिन, स्नेहा परही, स्वयंसिद्ध पाणिग्रही ने शोध कर किट तैयार की है।
आईआईटी द्वारा किए गए शोध को मनोचिकित्सकों के एसोसिएशन ने प्रमाणित किया है। आईआईटी ने किट को पेटेंट भी कराया है।
इसे तीन अलग-अलग आयु वर्ग के लिए बनाया गया है। आठ साल से नीचे, आठ से 10 साल और 11 से 13 साल।

अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज लांच

चर्चा का कारण

- नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज लांच करने की घोषणा की जो प्रधानमंत्री के नवोन्मेषणों एवं प्रौद्योगिकियों को लोगों के लिए प्रासंगिक बनाने के आह्वान के बाद अस्तित्व में आया है।
- सामर्थ्य प्रायोजन एवं प्रौद्योगिकियों को उत्पाद के रूप में ढालने की क्षमता प्रदर्शित करने वाले आवेदनो को एक करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस अनुदान सहायता के अतिरिक्त परामर्श 'हैंडहोल्डिंग' इंक्यूबेशन तथा वाणिज्यीकरण के विभिन्न चरणों में आवयश्क अन्य समर्थन भी प्रदान किए जाएंगे और इससे व्यापक परिनियोजन भी सृजित होगी।

प्रमुख तथ्य

- भारत नें विभिन्न क्षेत्रो में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अपनी विकास क्षमता को तेज किया है।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आवास एवं शहरी मामले, कृषि एवं किसान कल्याण, पीने का पानी एवं स्वच्छता मंत्रालयों तथा रेल बोर्ड के साथ साझेदारी करने के जरिए एआईएम भारत के नवोन्मेषकों की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करेगा।
- चयन समिति के क्षमता की अवधारण के आधार पर किसी फोकस क्षेत्र में कई अनुदान दिए जा सकते हैं।
- यह प्रोग्राम कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनियों मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम (एमएसएमई) जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में वर्णित है के लिए खुला है।
- चयन समिति के क्षमता की अवधारण के आधार पर किसी फोकस क्षेत्र में कई अनुदान दिए जा सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने वालों को परामर्श अग्रणी इंक्यूबेटर्स, 'एक्सीलरेटर्स', विशेषज्ञों द्वारा बाजार संबंधी कार्य नीतियों की सहायता प्रौद्योगिकीय समर्थन एवं अन्य साधन भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रमुख उद्देश्य

- यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की दिशा में हमारे प्रयासों पर फोकस करेगी जिसका हमारे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार का भी सृजन होगा।
- इन नवोन्मेषणों का उपयोग भारत के सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम स्थानीय रूप से भारत मंत्रालय की प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का समाधान करते हुए आदमी के जीवन में प्रौद्योगिकीय क्रांति लाएगा।

सीएएटीएसए और भारत

सीएएटीएसए क्या है?

- काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू-सेक्शन एक्ट (सीएएटीएसए) जनवरी 2018 में लागू हुआ है।
- यह ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।
- ट्रंप द्वारा इस कानून को बनाने के पीछे का मकसद अपने रूसी समकक्ष ब्लादिमीर पुतिन को दंडित करना था।

चर्चा का कारण

- हाल ही में अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि सीएएटीएसए कानून के तहत रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर यदि अमेरिका द्वारा भारत पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया तो यह दोनों देशों के संबंधों के लिए घातक होगा।
- भारत की योजना रूस से एस-400 हवाई रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने की है।

भारत के साथ समस्या

- रूसी सैन्य साजो सामान के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत के साथ हुए 60 लाख डॉलर के सौदे पर ग्रहण लग सकता है।
- इतना ही नहीं एशिया में अमेरिका के दूसरे साझेदार देशों के साथ भारत की हथियार खरीद की प्रक्रिया भी पटरी से उतर सकती है।
- यदि भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाये जाते हैं तो यह द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से घातक होगा।
- अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के अनुसार, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हाल के वर्षों में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझीदार बन कर उभरा है।

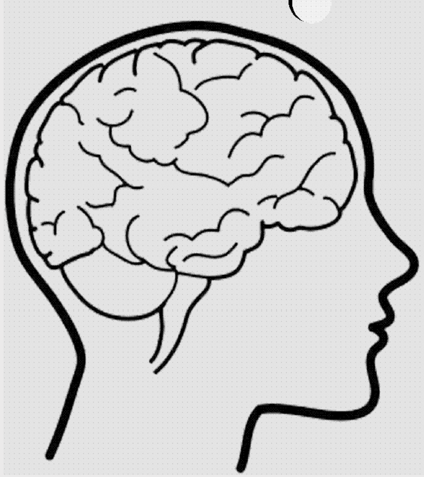

हरिमऊ शक्ति: 2018

चर्चा का कारण

- भारत और मलेशिया की सेनाओं द्वारा 30 अप्रैल 2018 से 13 मई 2018 तक मलेशिया के हुलु लंगट स्थित संेगई परडिक के घने जंगलों में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' का संचालन किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय बढ़ाना तथा घने जंगलों में अराजकता निरोध कार्रवाई के संचालन में विशेषज्ञता को साझा करना है।

हरिमऊ शक्ति-2018 की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व देश की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक 4 ग्रेनेडियर्स कर रही है। इस बटालियन के पास पारंपरिक तथा अराजकता निरोध कार्रवाई का समृद्ध अनुभव है।
- अभ्यास के एक हिस्से के रूप में दोनों देश मलेशिया के हुलु लंगट स्थित संेगई परडिक के घने जंगलों में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने के लिए एक-दूसरे के दलों की विशेषज्ञता साझा करेंगे।
- मलेशियाई दल का प्रतिनिधित्व 1 रॉयल रंजेर रेजिमेंट तथा रॉयल मलय रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। ये दोनों रेजिमेंट जंगल युद्ध में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।
- पहली बार मलेशिया की भूमि पर भारत और मलेशिया सैनिकों का इतने बड़े पैमाने पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन हो रहा है।
- इस अभ्यास के अंतर्गत पहले परस्पर प्रशिक्षण चरण तथा इसके बाद हुलु लंगट के जंगलों में 7 दिनों का क्षेत्र प्रशिक्षण चरण आयोजित किया जाएगा।

मुख्य फोकस

- इसके तहत दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, योजनाएं बनायेंगी तथा प्रशिक्षण गतिविधियों की एक शृंखला का संचालन करेंगी।
- इसका फोकस जंगल युद्ध में रणनीतिक कार्रवाई पर रहेगा। इस अभ्यास से दोनों ही सेनाओं को अपने युद्ध कौशल दिखलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह भारत तथा मलेशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में योगदान प्रदान करेगा।

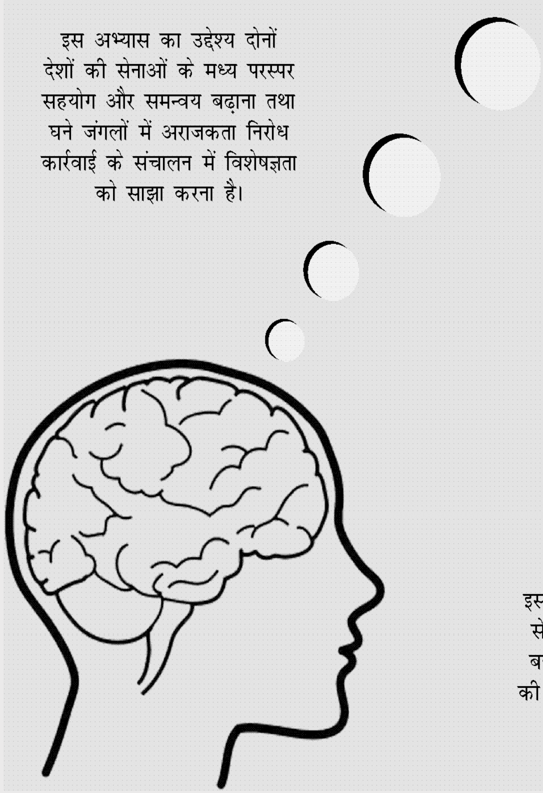

कैबिनेट द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

चर्चा का कारण

- मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (सीओ) 114 दिनांक 12 फरवरी 1981 को रद्द करके और नया आदेश लागू करके भारत के संविधान की 5 वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है।
- इसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
- इसमें पाली जिले के बाली तहसील के 9 ग्राम पंचायतों के 33 गांवों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री के इस मांग को 23 अगस्त को ऊर्जा राज्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने प्रस्तुत किया था।

घोषणा के मुख्य बिंदु

- राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अनुरोध किया था।
- नया आदेश लागू होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंगतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा।
- राजस्थान राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में संपूर्ण रूप से बांसवाड़ा, 'डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले' नौ तहसील एक संपूर्ण ब्लॉक तथा उदयपुर, राजसमंद, चितौड़गढ़, पाली और सिहोर जिलों के 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी।
- इसमें बाली तहसील की 9 पंचायतों के 33 गांव सम्मिलित होंगे। अब इन गांवों में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा के मद में अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अनुसूचित क्षेत्र क्या है?

- भारतीय संविधान की धारा 244 (1) की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार 'अनुसूचित क्षेत्र' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
- संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6/(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकते हैं।
- किसी राज्य और राज्यों के संबंध में इस पैराग्राफ के तहत जारी आदेश और आदेशों को राज्य के राज्यपाल की सलाह से निरस्त कर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों को फिर से परिभाषित करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं।

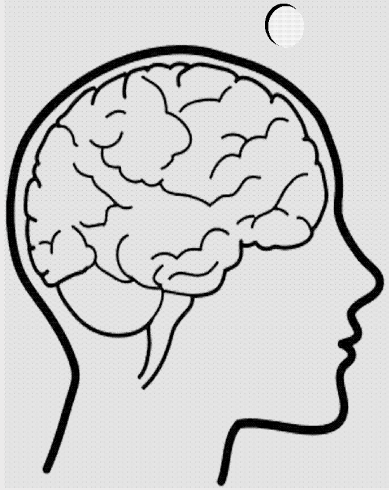

डोकलाम के बाद भारत–चीन संबंधों का नया दौर

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ताओं का दौर 27 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ।
- यह शिखर वार्ता जिसे "हार्ट टू हार्ट समिट" कहा जा रहा है, मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में आयोजित की जा रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन?

- नरेन्द्र मोदी और शी जिनपिंग ने अपनी अनौपचारिक बैठकों की शुरूआत 2014 में की थी, जब शी भारत आये थे।
- उसके बाद से दोनों नेता दर्जन भर अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में मिल चुके हैं।
- लेकिन यह इनके बीच दिल से दिल तक (हार्ट टू हार्ट) की बातचीत का अनौपचारिक शिखर सम्मेलन होगा। इस दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे न ही कोई साझा बयान जारी किया जाएगा।
- यह शिखर सम्मेलन मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनाने का प्रयास है जो कि किसी समझौते की घोषणा की बजाय बाद की कार्रवाई पर होगा। दोनों नेताओं के बीच इस तरह का संवाद पहली बार हो रहा है।

डोकलाम विवाद

- 2017 का डोकलाम विवाद, डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर, भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी सैन्य सीमा गतिरोध को संदर्भित करता है।
- 18 जून, 2017 को इस गतिरोध की शुरूआत हुई, जब करीब 200 से 300 भारतीय सैनिक दो बुलडोजर्स के साथ भारत-चीन सीमा पार कर पीएलए को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया।
- 9 अगस्त, 2017 को, चीन ने दावा किया कि केवल 53 भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर अभी भी डोकलाम में हैं। जबकि भारत ने दावे को नकारते हुए कहा कि उसके अभी भी वहाँ 300-350 सैनिक उपस्थित हैं।
- सितम्बर माह में ब्रिक्स सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया।

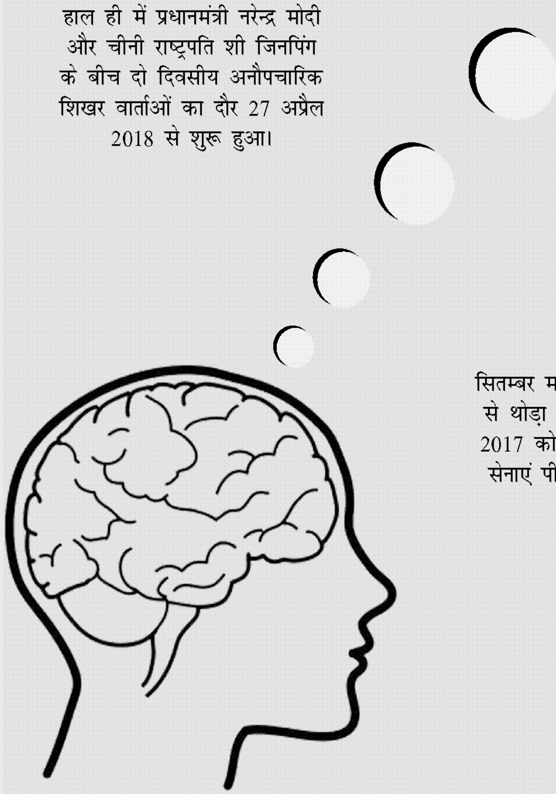

बीआईएस द्वारा तरल क्लोरीन हेतु पहला लाइसेंस जारी

चर्चा का कारण

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 26 अप्रैल 2018 को अखिल भारतीय आधार पर तरल क्लोरीन के लिए मैसर्स गुजरात अल्कलीज एवं कैमिकल्स लिमिटेड को पहला लाइसेंस प्रदान किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो का उद्देश्य मानक तैयार करना उन्हें लागू करना और उत्पादों की गुणवत्ता प्रणाली के लिए प्रमाणन योजना संचालित करना तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रबन्धन करना आदि है।

मुख्य तथ्य

अखिल भारतीय आधार पर यह पहला लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस 12 अप्रैल 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।

यह उत्पाद तरल अवस्था में है और इसे धातु के कंटेनर में रखा जाता है। आमतौर पर धातु के कंटेनर से तरल पदार्थ को वाष्पित करके गैस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कागज, लुगदी, वस्त्र ब्लीचिंग, पानी के कीटाणुशोधन और रसायनों के निर्माण में किया जाता है।

इस कदम से बीआईएस प्रमाणीकरण मुहर योजना के अंतर्गत उद्योग को आसानी से गुणवत्तापूर्ण तरल क्लोरीन मिल सकेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम 'भारतीय मानक संस्थान' था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

भारतीय मानक ब्यूरो मानक निरूपण प्रमाणन उत्पाद/योजनाओं, प्रयोगशाला सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों, उपभोक्ता संबंधित गतिविधियों, प्रचारक गतिविधियों, प्रशिक्षिण सेवाएं, सूचना सेवाएं एवं प्रकाशकों की बिक्री सेवा उपलब्ध कराता है।

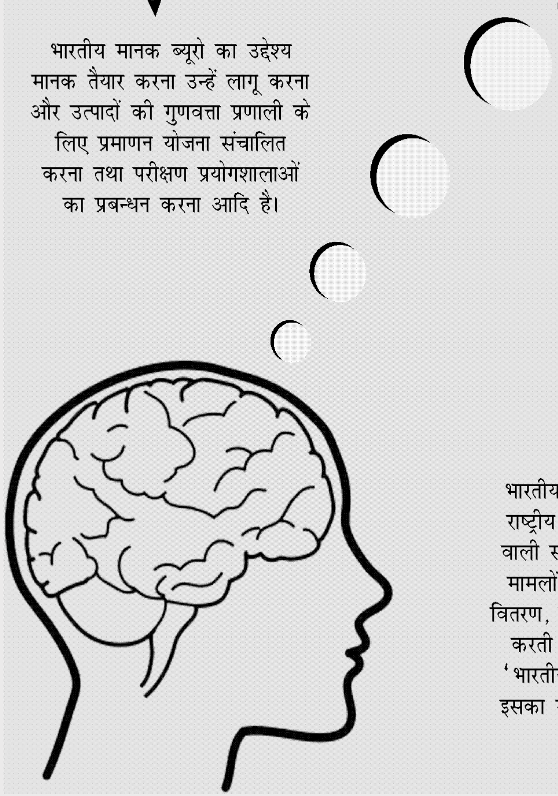

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. प्रोजेक्ट अंब्रेला

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. छोटे बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने 'प्रोजेक्ट अंब्रेला' के रूप में विशेष सेफ्टी किट विकसित की है।
2. मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित इस किट की सामग्री के जरिये बच्चों को गुडटच-बैडटच के बारे में बताया जाता है।
3. इस किट को तीन अलग-अलग आयु वर्ग के लिए बनाया गया है जैसे 8 साल से नीचे, 8 साल से 10 साल और 11 से 13 साल तक।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः छोटे बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए आईआईटी कानपुर ने 'प्रोजेक्ट अंब्रेला' के रूप में विशेष सेफ्टी किट विकसित की है। इस तरह कथन 1 गलत है। इस योजना को देशभर के स्कूलों में लागू करने की तैयारी चल रही है। अम्ब्रेला नामक इस किट में आडियों विजुअल सामग्री के रूप में प्लेइंग कार्ड, कार्टून, फन गेम्स, वीडियो, आडियो, कहानियों, चित्र आदि शामिल हैं। अंग्रेजी में अंब्रेला के बाद काका नाम से इसका हिंदी रूपान्तरण तैयार किया जा चुका है। आईआईटी इस किट को सभी स्कूलों को निःशुल्क उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। ■

2. अटल न्यू इंडिया चैलेन्ज

प्र. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है?

1. नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज लांच करने की घोषणा की जो प्रधानमंत्री के नवोन्मेषणों एवं प्रौद्योगिकीयों को लोगों के लिए प्रासंगिक बनाने के आह्वान के बाद अस्तित्व में आया है।
2. यह मिशन कंपनी अधिनियम 1956 और 2013 के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनियों मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम (एमएसएमई) जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में वर्णित है के लिए खुला है।

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 2 व 3 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने 26 अप्रैल 2018 को अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज लांच करने की घोषणा की। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए अपनी विकास क्षमता को तेज किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आवास एवं शहरी मामले, कृषि एवं किसान कल्याण, पीने का पानी एवं स्वच्छता मंत्रालयों तथा रेल बोर्ड के साथ साझेदारी करने के जरिए एआईएम भारत के नवोन्मेषकों की क्षमता का प्रयास करेगा। यह पहल प्रमुख क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की दिशा में हमारे प्रयासों पर फोकस करेगी जिसका हमारे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और इससे रोजगार का भी सृजन होगा। ■

3. सीएएटीएसए और भारत

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू-सेक्सन एक्ट (सीएएटीएसए) जनवरी 2018 में लागू हुआ।
2. यह अधिनियम ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।
3. रूसी सैन्य साजो सामान के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत के साथ हुए 60 लाख डॉलर के सौदे पर ग्रहण लग सकता है।
4. अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत हाल के वर्षों में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण साझीदार बनकर उभरा है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2, 3 व 4

(c) केवल 1, 3 व 4 (d) 1, 2, 3, व 4

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में अमेरिकी सासदों और विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि सीएएटीएसए कानून के तहत रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर यदि अमेरिका द्वारा भारत पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया तो यह दोनों देशों के संबंधों के लिए घातक होगा। वहीं भारत की योजना रूस से एस-400 हवाई रक्षा मिसाईल प्रणाली खरीदने की है। सीएसटीएसए के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. हरिमऊ शक्ति–2018

प्र. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?

(a) भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं द्वारा 30 अप्रैल 2018 से 13 मई 2018 तक इंडोनेशिया के हुलु लंगट स्थित सेंगई परडिक के घने जंगलों में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' का संचालन किया जाएगा।

(b) भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व देश की सबसे पुरानी बटालियनों में से एक 4 ग्रेनेडियर्स कर रही है।

(c) पहली बार मलेशिया की भूमि पर भारत और मलेशिया के सैनिकों के मध्य इतने बड़े पैमाने पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन हो रहा है।

(d) इसके तहत दोनों सेनाएं संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, योजनाएं बनायेंगी तथा प्रशिक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला का संचालन करेंगी।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत और मलेशिया (न कि इंडोनेशिया) की सेनाएं 30 अप्रैल से 13 मई 2018 तक मलेशिया के हुलु लंगट स्थित सेंगई परडिक के घने जंगलों में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हरिमऊ शक्ति' का संचालन करेंगी। अत: कथन a गलत है। इसके अलावा दिए गए सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

5. कैबिनेट द्वारा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की।
2. इसमें पाली जिले के बाली तहसील के 9 ग्राम पंचायतों के 33 गांवो को सम्मिलित किया गया है।
3. भारतीय संविधान की धारा 244(1) की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार 'अनुसूचित क्षेत्र' अभिव्यिक्ति का अर्थ ऐसे क्षेत्रों से है जिसे राष्ट्रपति अपने आदेश से अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
4. संविधान की अनुसूची 6 के पैराग्राफ 6(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2, 3 व 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की। इस तरह कथन a गलत है। संविधान की अनुसूची 5 के पैराग्राफ 6(2) के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समय राज्य के राज्यपाल की सलाह के बाद एक राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र में वृद्धि का आदेश दे सकता है। अत: कथन 4 भी गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

6. डोकलाम के बाद भारत–चीन संबंध

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. 2017 का डोकलाम विवाद, डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच जारी सैन्य सीमा गतिरोध को संदर्भित करता है।
2. 18 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरूआत हुई, जब करीब 200 से 300 भारतीय सैनिकों ने पीएलए को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया था।
3. सितम्बर माह में ब्रिक्स सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ताओं का दौर 27 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ। यह शिखर वार्ता जिसे "हार्ट टू हार्ट समिट" कहा जा रहा है मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में आयोजित की जा रही है। डोकलाम विवाद के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं इसलिए (d) उत्तर होगा। ■

7. तरल क्लोरीन हेतु पहला लाइसेंस जारी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. क्लोरीन हेतु लाइसेंस 15 अप्रैल 2018 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
2. भारतीय मानक ब्यूरों के उद्देश्य मानक तैयार करना, उन्हें लागू करना और उत्पादों की गुणवत्ता प्रणाली के लिए प्रमाणन योजना संचालित करना तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रबन्धन करना आदि है।
3. भारतीय मानक ब्यूरों भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है जिसका मुख्यालय मुम्बई में है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: क्लोरीन हेतु लाइसेंस 12 अप्रैल 2018 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। अत: कथन 1 गलत है। भारतीय मानक ब्यूरों का मुख्यालय दिल्ली में है इसलिए कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर (b) होगा। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - देबजानी घोष

2. हाल ही में किन देशों के मध्य पहली मालगाड़ी सेवा का ट्रायल शुरू किया गया है?

   - भारत और बांग्लादेश

3. विश्व का सबसे लम्बा समुद्र पुल किस देश में स्थित है?

   - चीन में

4. हाल ही में रूस, तुर्की और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है?

   - तुर्की में

5. हाल ही में भारत, जापान और अमेरिका की 9वीं त्रिपक्षीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है?

   - नई दिल्ली

6. हाल ही में यूएन के राजनीतिक मामलों के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - रोजमेरी दीकार्लो

7. हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

   - विनीत जोशी

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. क्या हम यह नहीं जानते कि आत्म सम्मान आत्म निर्भरता के साथ आता है?

   - अब्दुल कलाम

2. अपने प्रयोजन में दृढ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है।

   - महात्मा गाँधी

3. बहुत अधिक सतर्क रहने की नीति सभी खतरों में सबसे बड़ी है।

   - जवाहर लाल नेहरू

4. ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हमीं हैं जो अपनी आँखों पर हाँथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अन्धकार है।

   - विवेकानंद

5. संतोष प्राप्ति में नहीं, बल्कि प्रयास में होता है। पूरा प्रयास पूर्ण विजय है।

   - इंदिरा गाँधी

6. अगर इस देश में किसी भी व्यक्ति को अछूत कहा जाता हैं, तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा।

   - लाल बहादुर शास्त्री

7. एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है।

   - डॉ. भीम राव अम्बेडकर

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. प्रवाल विरंजन क्या है? हाल ही में प्रवाल भित्तियों की रक्षा हेतु ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के संदर्भ इनकी समस्याओं एवं समाधान की संक्षेप में चर्चा कीजिये।

2. सफल प्रत्यावर्तन और दीर्घकालिक समाधान के लिए मिजो और ब्रू समुदायों के बीच सुलह आवश्यक है। विश्लेषण करें।

3. 'अपनी धरोहर अपनी पहचान' परियोजना स्मारकों के बेहतर रख-रखाव के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करेगी। टिप्पणी करें।

4. नागरिक अवज्ञा आंदोलन द्वारा लाए गए परिवर्तनों की व्याख्या करें।

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। वर्तमान संदर्भ में क्या यह योजना सार्थक साबित हो रही है परीक्षण कीजिए।

6. सामाजिक लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा को संस्थागत बनाने में आने वाली बाधाओं पर चर्चा करें। इसके साथ ही न्यायपालिका द्वारा इस संदर्भ में उठाए गए विधायी कदमों के बारे में भी बताएँ।

7. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2015, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। इन दोनों की तुलना करते हुए इनके बीच अंतर को बताएं।